MMRC

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि.

MUMBAI METRO RAIL CORPORATION LTD.

वार्षिक विवरण

२०१७-१८

अनुक्रमणिका

१.	निदेशक मंडल	०१
२.	वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना	०२
३.	अध्यक्षीय भाषण	०८
४.	निदेशक रिपोर्ट	१०
५.	स्वतंत्र सचिवालय लेखापरीक्षक की रिपोर्ट	२३
६.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ	२८
७.	स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट	३०
८.	३१ मार्च २०१८ तक का तुलन पत्र	४७
९.	३१ मार्च २०१८ को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि का विवरण	४८
१०.	३१ मार्च २०१८ को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण	४९
११.	वित्तीय विवरण निर्माण में टिप्पणी आधार	५१
१२.	प्रोक्सी फॉर्म	६५

निदेशक मंडल

श्री. दुर्गाशंकर मिश्रा	अध्यक्ष, मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन मर्यादित एवं सचिव - नगरीय विकास मंत्रालय, भारत सरकार
श्रीमती अश्विनी भिड़े	प्रबंध निदेशक, मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन मर्यादित
श्रीमती झंजा त्रिपाठी	संयुक्त सचिव एवं वित्तीय परामर्शदाता, नगरीय विकास मंत्रालय, भारत सरकार
श्री. एम. के. सिन्हा	निदेशक, मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन मर्यादित एवं ओएसडी (यूटी) एवं पद के अनुसार कार्यालय संयुक्त सचिव - नगरीय विकास मंत्रालय, भारत सरकार
श्री. ए. के. गुप्ता	निदेशक, मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन मर्यादित एवं निदेशक इलेक्ट्रिकल, भारत सरकार
श्री. अचल जैन	निदेशक, मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन मर्यादित, एवं संभागीय रेलवे प्रबंधक, मुंबई केन्द्रीय संभाग, पश्चिम रेलवे, भारत सरकार
श्री. आर. ए. राजीव	निदेशक, मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन मर्यादित एवं मेट्रोपॉलिटन आयुक्त, महाराष्ट्र सरकार
श्री. अजॉय मेहता	निदेशक, मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन मर्यादित एवं बृहन्मुंबई नगरपालिका आयुक्त, महाराष्ट्र सरकार
डॉ. नितिन करीर	निदेशक, मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन मर्यादित एवं मुख्य सचिव, नगरीय विकास - १, महाराष्ट्र सरकार
श्री. यूपीएस मदान	निदेशक, मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन मर्यादित एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त, महाराष्ट्र सरकार
श्री. एस. के. गुप्ता	निदेशक (परियोजना), मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन मर्यादित
श्री. ए. ए. भट्ट	निदेशक (प्रणाली), मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन मर्यादित
श्री. अबोध खंडेलवाल	निदेशक (वित्त), मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन मर्यादित

कंपनी सचिव
सुश्री. रितु देब

कंपनी सचिव

वैधानिक अंकेक्षक
मे. ए. टी. जैन एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स,
४१४, हबटाउन सोलारिस,
चतुर्थ तल, एन. एस. फड़के मार्ग,
ईस्ट वेस्ट फ़्लायओवर के पास,
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - ४०००६९

सचिवीय अंकेक्षक
डी. ए. कामत एंड कंपनी
ए/३०८, रॉयल सैंड्स,
शास्त्री नगर, फ़ेम एडलैब्स के पीछे,
न्यू लिंक रोड,
अंधेरी (पश्चिम), मुंबई - ४०००५३

बैंकर
१. भारतीय स्टेट बैंक
२. एचडीएफसी बैंक
३. युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
४. आईसीआईसीआई बैंक

पंजीकृत कार्यालय :

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
(भारत सरकार एवं महाराष्ट्र सरकार का एक संयुक्त उपक्रम)
एमएमआरडीए भवन, प्लॉट नं. १४-१५, बीकेसी, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - ४०००५१.

नोटिस

एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमएमआरसीएल) के सदस्यों की १०वीं वार्षिक आम बैठक निम्नलिखित कार्य सम्पादित करने के लिए २८ सितंबर २०१८ को सम्मेलन कक्ष, संख्या १२३सी, प्रथम तल, निर्माण भवन, नई दिल्ली में ५ बजे सायं आयोजित की जाएगी :

साधारण कार्य :

(१) भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट सहित, निदेशक मंडल और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के साथ ३१ मार्च, २०१८ को लेखापरीक्षित तुलन-पत्र और उक्त तिथि को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए लाभ और हानि खाते का विवरण प्राप्त करना, विचारण और अंगीकृत करना.

(२) कंपनी अधिनियम, २०१३ की धारा १४२ के साथ पठित धारा १३९ (५) के प्रावधानों के संदर्भ में, वित्तीय वर्ष २०१८-१९ के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा यथा नियुक्त कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक नियत करने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल को अधिकृत करना.

विशेष कार्य :

(३) कंपनी के निदेशक के रूप में श्री आर.ए. राजीव, आईएएस की नियुक्ति.

विचार करना और उपयुक्त माने जाने पर सामान्य प्रस्ताव के रूप में निम्नलिखित को संशोधन के साथ या उसके बिना पारित करना :

प्रस्ताव किया गया कि कंपनी अधिनियम, २०१३ की धारा १६०, १६१ और के अन्य प्रावधानों, जैसा कि इस संबंध में लागू हो सकते हैं, के साथ पठित महाराष्ट्र सरकार के जी.आर. सं. ए.एस.पी.के. एईओ-१११८/१०/२०१८/दस दिनांकित ०२ मई, २०१८ के साथ पठित शहरी विकास विभाग महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त पत्र सं. एमआरडीए-३३१३/सी.आर.१२९/यूडी-७ दिनांकित २८ जुलाई, २०१४ के संदर्भ में और अन्य सभी सांविधिक स्वीकृतियों के अधीन, जैसा कि इस संबंध में लागू हो सकती हैं, श्री. आर.ए. राजीव, मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर, मुंबई मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र विकास प्राधिकरण, महाराष्ट्र सरकार, जो डीआईएन सं. ३१२५९५२ धारण करते हैं और जिन्हें एतद् द्वारा, जब तक कि आगे के आदेशों के माध्यम से महाराष्ट्र सरकार द्वारा अन्यथा तय नहीं किया जाता है, २ मई २०१८ से प्रभावी होने के साथ कंपनी का पदेन नामांकित निदेशक नियुक्त किया जाए.

पुन: प्रस्ताव किया गया कि निदेशक मंडल और/या कंपनी के कंपनी सचिव को सभी आवश्यक कार्यों को करने और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय को उपरोक्त नियुक्ति की सूचना देने के लिए आवश्यक ई-फॉर्म दाखिल करने और इस संबंध में आवश्यक सभी कदम उठाने के लिए अलग-अलग अधिकृत किया जाए.''

(४) कंपनी के निदेशक के रूप में श्री अचल जैन की नियुक्ति :

विचार करना और उपयुक्त माने जाने पर सामान्य प्रस्ताव के रूप में निम्नलिखित को संशोधन के साथ या उसके बिना पारित करना :

प्रस्ताव किया गया कि कंपनी अधिनियम, २०१३ की धारा १६०, १६१ और के अन्य प्रावधानों, जैसा कि इस संबंध में लागू हो सकते हैं, के साथ पठित शहरी विकास विभाग भारत सरकार द्वारा जारी पत्र सं. के-१४०११/१७/२०१७-एमआरटीएस-सीओओआरडी दिनांकित २८/०६/ २०१८ के संदर्भ में और अन्य सभी सांविधिक स्वीकृतियों के अधीन, जैसा कि इस संबंध में लागू हो सकती हैं, श्री अचल जैन, कार्यकारी निदेशक (एल एंड ए) - १, रेलवे बोर्ड, भारत सरकार को तत्काल प्रभाव से श्री कैलाश कुमार अग्रवाल के स्थान पर नामांकित किया जाए. तदनुसार, बोर्ड ने २३ जुलाई २०१८ से प्रभावी होने के साथ श्री अचल जैन को कंपनी के निदेशक मंडल में नामांकित निदेशक नियुक्त किया.

पुन: प्रस्ताव किया गया कि निदेशक मंडल और/या कंपनी के कंपनी सचिव को सभी आवश्यक कार्यों को करने और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय को उपर्युक्त नियुक्ति की सूचना देने के लिए आवश्यक ई-फॉर्म दाखिल करने और इस संबंध में आवश्यक सभी कदम उठाने के लिए अलग-अलग अधिकृत किया जाए.''

बोर्ड की आज्ञानुसार
हस्ता/-
कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : २३ जुलाई २०१८

टिप्पणियाँ

ए) उपस्थित होने और मतदान करने के हकदार सदस्य अपनी ओर से भाग लेने और मतदान करने के लिए प्रतिनिधि नियुक्त करने के हकदार हैं और प्रतिनिधि को कंपनी का सदस्य होने की आवश्यकता नहीं है. कंपनी अधिनियम, २०१३ की धारा १०५ के प्रावधानों के अनुसार, कोई व्यक्ति पचास से अधिक नहीं, और कंपनी की कुल शेयर पूंजी का दस प्रतिशत से अधिक नहीं, धारण करने वाले सदस्यों की ओर से प्रतिनिधि के रूप में कार्य नहीं कर सकता है. कंपनी की कुल शेयर पूंजी का दस प्रतिशत से अधिक धारण करने वाले सदस्य प्रतिनिधि के रूप में एक व्यक्ति को नियुक्त कर सकते हैं, जिसके द्वारा किसी अन्य सदस्य के लिए प्रतिनिधि के रूप में कार्य नहीं किया जाएगा. प्रभावी होने के लिए, प्रतिनिधि विलेख को बैठक के शुरू होने से ४८ घंटे पहले नहीं, कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में, विधिवत पूर्ण और हस्ताक्षरित, जमा किया जाना चाहिए. इस फॉर्म के साथ प्रतिनिधि रिपोर्ट संलग्न है. लिमिटेड कंपनियों, सोसायटियों, आदि की ओर से प्रस्तुत प्रतिनिधि, यथा लागू, उचित प्रस्ताव/प्राधिकरण द्वारा समर्थित होने चाहिए.

बी) बैठक में भाग लेने के लिए सदस्यों/प्रतिनिधियों से इसके साथ संलग्न विधिवत भरी हुई उपस्थिति पर्ची लाने का अनुरोध किया जाता है.

सी) वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में किए जाने वाले विशेष कार्य से संबंधित कंपनी अधिनियम, २०१३ की धारा १०२ के अनुसार एक स्पष्टीकारक वक्तव्य इसके साथ-साथ संलग्न है.

डी) कंपनी का संस्थापन प्रलेख और संस्था अंतर्नियम कंपनी के शेयरधारकों के निरीक्षण के लिए वार्षिक आम बैठक की तिथि तक ११:00 बजे सुबह से ३:00 बजे दोपहर के बीच सभी कार्य दिवसों (सोमवार से शुक्रवार) पर कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में उपलब्ध है.

सूचना का स्पष्टीकारक वक्तव्य

(कंपनी अधिनियम २०१३ की धारा १०२ के अनुसार)

मद संख्या ३:

कंपनी अधिनियम, २०१३ की धारा १६०, १६१ और के अन्य प्रावधानों, जैसा कि इस संबंध में लागू हो सकते हैं, के साथ पठित महाराष्ट्र सरकार के जी.आर. सं. ए.एस.पी.के. एईओ-१११८/१०/२०१८/दस दिनांकित ०२ मई २०१८ के साथ पठित शहरी विकास विभाग महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त पत्र सं. एमआरडीए-३३१३/सी.आर.१२९/यूडी-७ दिनांकित २८ जुलाई, २०१४ के संदर्भ में और अन्य सभी सांविधिक स्वीकृतियों के अधीन, जैसा कि इस संबंध में लागू हो सकती हैं, श्री आर.ए. राजीव, मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर, मुंबई मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र विकास प्राधिकरण, महाराष्ट्र सरकार, जो डीआईएन सं. ३१२५९५२ धारण करते हैं को एतद् द्वारा ०२/०५/२०१८ से कंपनी के नामांकित निदेशक के रूप में श्री आर.ए. राजीव की नियुक्ति के लिए निदेशक मंडल की सहमति दी गई है. तदनुसार, निदेशक मंडल ने श्री आर.ए. राजीव, आईएएस को ०२/०५/२०१८ से प्रभावी होने के साथ कंपनी के निदेशक मंडल में नामांकित निदेशक के रूप में नियुक्त किया है.

उक्त नियुक्ति के लिए कंपनी अधिनियम, २०१३ की धारा १५२ के प्रावधानों के अनुसार शेयरधारकों की मंजूरी की आवश्यकता है.

श्री. आर.ए. राजीव आईएएस, मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर, मुंबई मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र विकास प्राधिकरण, महाराष्ट्र सरकार, जो डीआईएन सं. ३१२५९५२ धारण करते हैं, ने कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए अपनी लिखित सहमति दे दी है और घोषणा की है कि वह कंपनी अधिनियम, २०१३ का प्रावधानों के अनुसार नियुक्त होने से अनर्ह नहीं है.

श्री आर.ए. राजीव और अन्य निदेशकों के बीच आपस में कोई संबंध नहीं है

सिवाय श्री. आर.ए. राजीव आईएएस, मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर, मुंबई मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र विकास प्राधिकरण, महाराष्ट्र सरकार को छोड़कर कोई भी निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) या उनके रिश्तेदार, संबंधित सरकारों के नामांकित व्यक्तियों के रूप में उनके द्वारा धारित शेयरों के अलावा और निदेशक मंडल में संबंधित सरकारों का नामांकित व्यक्ति होने के आधार पर किसी भी व्यक्तिगत या व्यक्तिगत तरीके से, चाहे जो भी हो, प्रस्ताव के साथ क्रमश: हितबद्ध या संबंधित नहीं है.

बोर्ड सदस्यों द्वारा सामान्य प्रस्ताव के रूप में मद संख्या ३ में निर्धारित प्रस्तावों के अनुमोदन की अनुशंसा करता है.

मद संख्या ४ :

शहरी विकास विभाग भारत सरकार द्वारा जारी पत्र सं. के-१४०११/१७/२०१७-एमआरटीएस-सीओओआरडी दिनाँकित २८/०६/ २०१८ के संदर्भ में श्री अचल जैन, कार्यकारी निदेशक (एलएंडए) - १, रेलवे बोर्ड को तत्काल प्रभाव से श्री कैलाश कुमार अग्रवाल के स्थान पर नामांकित किया जाए. तदनुसार, बोर्ड ने २३ जुलाई २०१८ से प्रभावी होने के साथ श्री अचल जैन को कंपनी के निदेशक मंडल में नामांकित निदेशक नियुक्त किया.

उक्त नियुक्ति के लिए कंपनी अधिनियम, २०१३ की धारा १५२ के प्रावधानों के अनुसार शेयरधारकों की मंजूरी की आवश्यकता है.

भारत सरकार के नामांकित व्यक्ति श्री अचल जैन, कार्यकारी निदेशक (एलएंडए) - १, रेलवे बोर्ड ने कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए अपनी लिखित सहमति दे दी है और घोषणा की है कि वह कंपनी अधिनियम, २०१३ का प्रावधानों के अनुसार नियुक्त होने से अनर्ह नहीं है.

श्री अचल जैन और अन्य निदेशकों के बीच आपस में कोई संबंध नहीं है.

सिवाय श्री अचल जैन, कार्यकारी निदेशक (एल एंड ए) -१, रेलवे बोर्ड को छोड़कर कोई भी निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) या उनके रिश्तेदार, संबंधित सरकारों के नामांकित व्यक्तियों के रूप में उनके द्वारा धारित शेयरों और निदेशक मंडल में संबंधित सरकारों का नामांकित व्यक्ति होने के अलावा किसी भी व्यक्तिगत या वैयक्तिक तरीके से, चाहे जो भी हो, प्रस्ताव के साथ क्रमश: हितबद्ध या संबंधित नहीं है.

बोर्ड सदस्यों द्वारा सामान्य प्रस्ताव के रूप में मद संख्या ४ में निर्धारित प्रस्तावों के अनुमोदन की अनुशंसा करता है.

बोर्ड की आज्ञानुसार

हस्ता/-

कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : २३ जुलाई २०१८

सचिविय मानकों के अंतर्गत प्रकट किए जाने हेतु आवश्यक अतिरिक्त जानकारी

निदेशक का नाम	आर. ए. राजीव	अचल जैन
आयु	५७ वर्ष	५४ वर्ष
योग्यता	आईएएस	इंजीनियर
वर्तमान पदनाम में पहली नियुक्ति की तिथि	०२ मई २०१८	२३ जुलाई २०१८
कंपनी में शेयरधारिता	शून्य	शून्य
अंतिम अनुमोदित पारिश्रमिक का विवरण	लागू नहीं	लागू नहीं

CIN U60100MH2008SGC181770
कार्यालय का पता : एनएएमटीटीआरआई बिल्डिंग, प्लॉट आर १३, ई ब्लॉक, बीकेसी, बांद्रा (पू.),
मुंबई - ४०० ०५१
फोन : +९१ २२ २६३८ ४६०२ फैक्स : +९१ २२ २६५९ २००५
ईमेल : mumbaimetro3@mmrcl.com, www.mmrcl.com
पंजीकृत कार्यालय : एमएमआरडीए बिल्डिंग, बीकेसी, बांद्रा (पू.), मुंबई - ४०० ०५१

अध्यक्षीय भाषण

मुंबई मेट्रो रेल निगम लिमिटेड (MMRC) की दसवीं वार्षिक आम सभा में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ.

बोर्ड की रिपोर्ट, वित्तीय वर्ष २०१७ - १८ के लेखापरीक्षित खाते; तथा भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक की उन पर की गई टिप्पणियाँ आप सभी को पहले ही पहुँचा दी गयी थी जिन्हें मैं सभी की अनुमति से, पढ़ा हुआ समझता हूँ.

इस वर्ष कंपनी की शेयर पूँजी, ३१ मार्च, २०१८ को रु.१३१५.२० करोड़ थी (पिछले साल रु.५१५.२० करोड़) जिसके चलते कंपनी ने आयएनडी - ए एस (IND-AS) कार्यान्वित किया है. आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष २०१७ - १८ में बड़ी ही सावधानी से अपना अल्पकालिक अधिशेष निवेशित किया था जिससे हमें रु. ५८.५१ करोड़ ब्याज के रूप में प्राप्त हुए.

मुझे आप सभी को यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है की २४ सितम्बर २०१८ को मुंबई मेट्रो ने अपना पहला टनल बोरिंग मशीन (TBM) ब्रेकथ्रू परिपूर्ण किया है, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है. यह ब्रेकथ्रू TBM वैनगंगा - १, पैकेज ७ द्वारा छत्रपति शिवाजी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (CSIA) - T2 पर महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फड़नवीस की उपस्थिति में संपूर्ण हुआ.

आपकी कंपनी सदैव प्रक्रियाओं व प्रणालियों के सुधार पर अतिरिक्त ध्यान देती है ताकि परियोजनाओं के क्रियान्वयन की गति को बढ़ाया जा सके. ३१ अगस्त २०१८ को इस परियोजना की वास्तविक प्रगति २४% तथा वित्तीय प्रगति २७.३% रही. सभी १७ TBM उत्तम परिचालन की स्थिति में प्राप्त हो चुके हैं. कालबादेवी को छोड़, २६ में से २५ भूमिगत स्टेशन्स पर कार्य प्रारम्भ हो चुका है. ए+ ग्रेड स्टेशन आरे पर भी बृहन्मुम्बई नगर पालिका (MCGM) से पेड़ काटने की अनुमति मिलते ही कार्य की शुरुआत हो जाएगी.

३१ अगस्त २०१८ तक कंपनी द्वारा ९९.८१% अस्थायी भूमि तथा ८६.७४% स्थायी भूमि अधिगृहित कर ली गयी है. परियोजना द्वारा प्रभावित २८८८ परिवारों में से २०६८ परिवारों को पुनर्वासित कर दिया गया है, और आने वाले ४ से ५ महीनों में शेष परिवारों का पुनर्वासन कर दिया जाएगा.

वर्ष के दौरान, आरे में मेट्रो कार डिपो बनाने बाबद नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) नई दिल्ली की प्रमुख शाखा ने आदेश दि. १४/५/२०१८ के अनुसार MMRC को आवेदन के लंबित रहने के दौरान मलबा डालने व पेड़ काटने पर नियंत्रण रखने का निर्देश दिया था. २० सितम्बर २०१८ को NGT द्वारा यह आदेश वापस ले लिया गया है. एक समरूप प्रकरण NGT में भारत संघ व अन्य के ख़िलाफ़ वनशक्ति द्वारा दर्ज़ कराया गया था जिसमें संजय गाँधी राष्ट्रीय उद्यान के आस-पास की भूमि को इको सेंसिटिव ज़ोन (ESZ) घोषित करने की दलील दी गयी थी. २० सितम्बर २०१८ को ही NGT ने पाया कि अधिसूचना दि. ०५ दिसंबर २०१६ को ही उपर्लिखित घोषित किया गया था तथा उनके द्वारा आरे में निर्धारित भूमि को पृथक कर दिया गया. अत: आवेदकों द्वारा अर्जी वापस ले ली गई. दि. १४ मई २०१८ का स्टे आर्डर मुख्य आवेदन वापस लेने के कारण हटा लिया गया. अत: मामले का निपटान हुआ.

विधान भवन, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडल (MIDC) पुलिस हाउसिंग एवं BEST SEEPZ डिपो के सरकारी भूखंडों पर आपकी कंपनी की संयुक्त विकास की योजना है जिसके लिए वास्तुविदों/डिज़ाइनर्स की नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द ही प्रारम्भ की जाएगी.

मेट्रो कोच एवं सम्बद्ध सेवाओं के आर्डर दिए जाने से सम्बंधित कई निविदाएँ अंतिम रूप लेने की ओर अग्रसर हैं, जिनमें से बिजली आपूर्ति प्रणाली तथा ट्रैक्शन (ओवरहेड अनुबंध) प्रणाली २१ फरवरी २०१८ को ही जारी किए जा चुके हैं.

रियल एस्टेट एवं अन्य स्रोतों से रु.१००० करोड़ उपार्जित करने के मामले में महाराष्ट्र सरकार (GOM) का फैसला लंबित है जिसमें आरे में स्थित ३.५ हेक्टेयर भूमि का वाणिज्यिक दोहन संभव है. डेडिकेटेड अर्बन ट्रांसपोर्ट फण्ड (DUTF) उपार्जित करने हेतु भी राज्य सरकार द्वारा विशिष्ट कार्यकारी आदेश देना लंबित है.

ऐसे कई प्रस्ताव हैं जिन पर राज्य कैबिनेट सैद्धांतिक रूप से सहमत है जैसे कॉरिडोर के दोनों तरफ ५०० मीटर का अतिरिक्त एफएसआई, प्रीमियम शुल्क लेना एवं ५०% प्रीमियम MMRD को हस्तांतरित करना. इसमें महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९६६ (MRTP) के अंतर्गत विकास शुल्क में १००% की बढ़ोतरी प्रस्तावित है जहाँ सरकार द्वारा अधिसूचित 'महत्त्वपूर्ण शहरी परिवहन परियोजना' कार्यान्वित है. यह बढ़ी हुई राशि MMRD को हस्तांतरित किया जाना प्रस्तावित है. आरे कॉलोनी में स्थित ३ हेक्टेयर भूमि का एफएसआई बढ़ाने व मेट्रो स्टेशनों के वाणिज्यिक विकास हेतु विकास नियंत्रण अधिनियम (DCR) में संशोधन प्रस्तावित है.

हालाँकि, राज्य सरकार से सभी उपरोक्त प्रस्तावों पर आगे की कार्यवाही बहुप्रतीक्षित है.

अभी तक, MMRC नियमित, डेप्युटेशन व दीर्घावधि अनुबंधित कर्मचारियों को मिला कर २१८ पदों पर नियुक्ति कर चुका है.

कंपनी द्वारा समय-समय पर प्रेस विज्ञप्तियां जारी की जाती हैं, जिनमें नवीनतम तकनीकी सुधार, परियोजना में की गई प्रगति, पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास गतिविधियों इत्यादि की जानकारी दी जाती है.

निदेशक मंडल की ओर से मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सभी बाहरी निधियन संस्थाओं का जिन्होंने कंपनी को साख़ दिलाने में सहयोग किया, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (JIC) का, और भारत सरकार एवं महाराष्ट्र सरकार के विभिन्न विभागों का भी.

निदेशक मंडल की ओर से मैं कंपनी के सभी कर्मचारियों की निष्ठा एवं परिश्रम की प्रशंसा करना चाहूँगा जिनके बिना देश के पहले पूर्णत: भूमिगत मेट्रो रेल नेटवर्क में (कई जटिलताओं के बावजूद) टनलिंग प्रारम्भ करना ही मुमकिन नहीं था.

धन्यवाद सहित,
हस्ता/-
(दुर्गाशंकर मिश्रा)
सचिव
आवासीय व शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार
तथा चेयरमैन, MMRC.

निदेशकों का प्रतिवेदन

सेवा में,
सदस्यगण,
मुंबई मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड
मुंबई

आपके निदेशकों को आपके समक्ष वित्तीय वर्ष २०१७-२०१८ के लिए कंपनी के व्यवसाय, परिचालन और वित्तीय स्थिति पर कंपनी के निदेशक मंडल का १०वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए हर्ष हो रहा है.

१. वित्तीय परिणाम और प्रदर्शन

३१ मार्च, २०१८ को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी की वित्तीय स्थिति (सभी आंकड़े लाख रु. में)

विवरण	वित्त वर्ष २०१३-२०१८ के लिए	वित्त वर्ष २०१६-२०१७ के लिए
कुल आय	१५००.९१	१४४०.८६
कम: प्रचालन व्यय	२१२९.४२	८३७.१९
कम: मूल्यह्रास	१६४.२६	१२०.९३
कम: वित्तीय व्यय	0	0
कम: असाधारण मदें	0	0
कर से पहले लाभ (हानि)	(७९२.७७)	४८२.७४
कम: कर व्यय	१०२७.११	५२९.२३
कर के बाद निवल लाभ (हानि)	(१७६८.७३)	(४६.४९)
सामान्य रिजर्व में हस्तांतरण	0	0
बैलेंस शीट में आगे ले जाया गया लाभ/(हानि)	(१७६८.७३)	(४६.४९)

२. सामान्य रिजर्व में हस्तांतरण:

बोर्ड द्वारा सामान्य रिजर्व में कोई राशि हस्तांतरित नहीं की गई है.

३. वित्तीय वर्ष २०१७-१८ के लिए लाभांश

चालू और गत वित्तीय वर्षों की हानियों के बदले, निदेशक मंडल द्वारा कंपनी के इक्विटी शेयरों पर किसी भी लाभांश की अनुशंसा नहीं की जाती है.

४. कंपनी की स्थिति

कंपनी को अप्रैल २००८ में राज्य सरकार की कंपनी और एमएमआरडीए की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में समामेलित किया गया था. वित्तीय वर्ष (२०१४-१५) में, कंपनी भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार (एमएमआरडीए के माध्यम से) के बीच ५०:५० का संयुक्त उद्यम बन गई.

भारत सरकार ने, देखें उसका पत्र सं. १४०११/३६/२००९मेट्रो/एमआरटीएस-२ (संस्करण तीन) दिनांकित १८ जुलाई २०१३ कंपनी को मेट्रो लाइन तीन (कोलाबा-बांद्रा-एसईईपीजेड) परियोजना के निष्पादन के लिए स्पेशल पर्पज व्हिकल (एसपीवी) नियुक्त किया है.

संस्थापन प्रलेख और संस्था अंतर्नियम कंपनी की स्थिति में राज्य सरकार की कंपनी से, भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार के बीच संयुक्त उद्यम होने के नाते, एक सरकारी कंपनी में हुआ परिवर्तन दर्शाते हैं.

५. कंपनी के शेयरों का निर्गमन

कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी रु. ५०,००,००,००,००० (केवल पांच हजार करोड़ रुपये) है जिसमें रू. १००-१०० के ५० करोड़ इक्विटी शेयर शामिल हैं.

कंपनी ने वित्तीय वर्ष २०१७-१८ के दौरान कंपनी अधिनियम, २०१३ की धारा ६२ के प्रावधानों का विधिवत अनुपालन करते हुए भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार के नामांकितों को रू. १००-१०० के ८,००,००,००० इक्विटी शेयरों का राइट इश्यू किया है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

क्रमांक	शेयर आवंटन समिति की बैठक की तिथि	शेयरों की संख्या	कुल प्रतिफल
१.	३१ मई, २०१७	४,००,००,०००	४,००,००,००,०००
२.	३० जनवरी, २०१८	२,००,००,०००	२,००,००,००,०००
३.	१९ मार्च, २०१८	२,००,००,०००	२,००,००,००,०००

६. कंपनी का परिचालन

केंद्र सरकार के अनुमोदन के अनुसार देखें उसका पत्र संख्या १४०११/३६/२००९मेट्रो/ एमआरटीएस-दो (संस्करण तीन) दिनांकित १८ जुलाई २०१३ कंपनी कोलाबा-बांद्रा-एसईईपीजेड लाइन के लिए मेट्रो लाइन तीन परियोजना हेतु एक एसपीवी है. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी के पास :

लगभग १५० किलोमीटर मेट्रो नेटवर्क के रूप में मुंबई शहर के लिए तैयार किया गया मुंबई मेट्रो मास्टर प्लान है, जिसमें से १२ कि.मी. बीओओटी प्रक्रिया एमएमआरडीए के आधार पर कार्यान्वित किया जा चुका है. कार्पोरेशन वर्तमान में कोलाबा-बांद्रा-सीप्ज़ मेट्रो लाइन-तीन कार्यान्वित कर रहा है जो कि ३३.५ कि.मी. है. परियोजना का निष्पादन २०२१ तक पूरा होने की उम्मीद है. राज्य सरकार ने एमएमआरडीए (एक वैकल्पिक संस्थागत व्यवस्था) के माध्यम से शेष कॉरीडोर कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है.

७. निदेशक मंडल और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

इस प्रतिवेदन की अवधि के दौरान, कंपनी के निदेशक मंडल की संरचना में महत्वपूर्ण बदलाव हुए थे. इस प्रतिवेदन की तिथि को निदेशक मंडल निम्नानुसार है:

निदेशक का नाम	डीआईएन	नियुक्ति की तिथि	पदनाम
श्री. अजय मेहता	००१५५१८०	२७/०४/२०१५	नामांकित निदेशक
डॉ. नितिन नंदकिशोर करीर	०१६२४८६३	०५/०१/२०१५	नामांकित निदेशक
श्रीमती अश्विनी सतीश भिड़े	०२८६१००८	०५/०१/२०१५	प्रबंध निदेशक
श्री. उर्विंदर पाल सिंह मदन	०३५७०२५६	२०१३/०२/०३	नामांकित निदेशक
श्री. दुर्गा शंकर मिश्र	०२९४४२१२	२३/०६/२०१७	नामांकित निदेशक/अध्यक्ष
श्री. आर. ए. राजीव	०३१२५९५२	२०१८/०२/०५	नामांकित निदेशक
श्री. अनूप कुमार गुप्ता	०६५७२३२७	२०१४/१२/०८	नामांकित निदेशक
श्री. मुकुंद कुमार सिन्हा	०६७७४९२३	११/०३/२०१५	नामांकित निदेशक
श्रीमती झंझा त्रिपाठी	०६८५९३१२	२०१४/१२/०८	नामांकित निदेशक
श्री. दिनेश कुमार जैन	०७२३९३१०	२७/०४/२०१६	नामांकित निदेशक
श्री. कैलाश कुमार अग्रवाल	०६५८९६३५	३०/०९/२०१६	नामांकित निदेशक
श्री. राहुल अस्थाना	००२३४२४७	२०१६/०८/०९	स्वतंत्र निदेशक
श्री. आदित्य प्रकाश मिश्र	०३३१९२४०	२०१६/०८/०९	स्वतंत्र निदेशक
श्री. अजय कुमार ए. भट्ट	०७११००९७	०६/०२/२०१५	कार्यात्मक निदेशक
श्री. सुबोध कुमार गुप्ता	०७११४२९२	१४/०१/२०१५	कार्यात्मक निदेशक
श्री. अबोध खंडेलवाल	०७८०७३९४	२८/०४/२०१७	वित्त निदेशक

वित्तीय वर्ष के दौरान निदेशकों की नियुक्ति :

ए) श्री दुर्गाशंकर मिश्रा को २३/०६/२०१७ से कंपनी के निदेशक मंडल का निदेशक व अध्यक्ष नियुक्त किया गया.

बी) श्री. के. के. अग्रवाल को कंपनी की ९वीं वार्षिक समान्य बैठक में निदेशक मंडल में नामांकित निदेशक नियुक्त किया गया.

इसके अतिरिक्तत, कंपनी अधिनियम, २०१३ की धारा १५२ के प्रावधानों के संदर्भ में, श्री आदित्य प्रकाश मिश्र, श्री राहुल अस्थाना और श्री अबोध कुमार खंडेलवाल की नियुक्ति को कंपनी की ९वीं वार्षिक समान्य बैठक में शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित किया गया.

वित्तीय वर्ष के दौरान निदेशकों का समापन:

ए) श्री राजीव गौबा स्थानांरण/ भारत सरकार द्वारा नामांकन की वापसी के कारण २३/०६/२०१७ से निदेशक मंडल का हिस्सा नहीं रहे. निदेशक मंडल द्वारा कंपनी में श्री राजीव गौबा के कार्यकाल के दौरान योगदान और आदान के लिए अपनी प्रशंसा व्यक्त की जाती है.

बी) श्री के. के. अग्रवाल महाराष्ट्र सरकार से नामांकन वापस लेने के कारण देखें उसका पत्र सं. ५३१३१/२०१८/सीआरओ दिनांकित १५ मार्च २०१८ कंपनी के नामांकित निदेशक नहीं रहे.

सी) नामांकित निदेशक श्री दिनेश कुमार जैन को २४ जुलाई २०१७ से अपनी निदेशकता का पद रिक्त करने वाला माना गया है क्योंकि उन्होंने बारह महीनों की अवधि तक निदेशक मंडल की सभी बैठकों से अपने आपको अनुपस्थित रखा.

डी) नामांकित निदेशक श्री अजॉय मेहता को ६ जनवरी २०१८ से अपनी निदेशकता का पद रिक्त करने वाला माना गया है क्योंकि उन्होंने बारह महीनों की अवधि तक निदेशक मंडल की सभी बैठकों से अपने आपको अनुपस्थित रखा.

वर्ष के दौरान कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों में कोई बदलाव नहीं आया था. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का विवरण इस प्रकार है:

नाम	पदनाम	नियुक्ति की तिथि	त्यागपत्र की तिथि
श्रीमती अश्विनी भिड़े	प्रबंध निदेशक	०५/०१/२०१५	-
सुश्री रितु देब	कंपनी सचिव	१५/०४/२०१५	-
श्री अबोध खंडेलवाल	मुख्य वित्तीय अधिकारी	२९/०३/२०१७	-

कार्यात्मक निदेशक, प्रबंध निदेशक और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को भुगतान किए गए पारिश्रमिक का विवरण फॉर्म एमजीटी-९ में प्रदान किया गया है जो इस प्रतिवेदन का एक अनुलग्नक है.

८. स्वतंत्र निदेशक

३१ मार्च २०१८ को, श्री राहुल अस्थाना और श्री आदित्य प्रकाश मिश्र कंपनी के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक हैं. स्वतंत्र निदेशकों ने वित्तीय वर्ष २०१७-१८ के लिए कंपनी अधिनियम, २०१३ की धारा १४९ (६) के अंतर्गत अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की है.

इसके अतिरिक्त, कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों ने कंपनी अधिनियम, २०१३ को अनुसूची चार के प्रावधानों के संदर्भ में २६ मार्च, २०१८ को कार्यकारी निदेशकों, नामांकित निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की उपस्थिति के बिना अलग से बैठक की.

हालांकि, स्वतंत्र निदेशक, श्री राहुल अस्थाना और श्री आदित्य प्रकाश मिश्र, ने क्रमश: २५ जून २०१८ और २ जुलाई २०१८ से प्रभावी होने के साथ वित्तीय वर्ष ३१ मार्च २०१८ के समापन के बाद अपना त्यागपत्र पेश किया है.

इसके अतिरिक्त, कंपनी अधिनियम, २०१३ की धारा १४९ (६) के साथ पठित कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, २०१४ के नियम ४ के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी को स्वतंत्र निदेशक नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार (एमएमआरडीए के माध्यम से) का संयुक्त उद्यम है.

९. बोर्ड की बैठकों और समिति की बैठकों का विवरण

(ए) बोर्ड की बैठकें

वित्तीय वर्ष २०१७-२०१८ के दौरान निदेशक मंडल ने ५ बार बैठक की, जिसका विवरण निम्नानुसार है :

बोर्ड की बैठक की संख्या	बोर्ड की बैठक की तिथि	उपस्थित निदेशकों की संख्या
४३वीं बोर्ड बैठक	९ मई, २०१७	१०
४४वीं बोर्ड बैठक	२४ जुलाई, २०१७	११
४५वीं बोर्ड बैठक	२३ सितंबर, २०१७	१२
४६वीं बोर्ड बैठक	६ जनवरी, २०१८	११
४७वीं बोर्ड बैठक	९ फरवरी, २०१८	७

निदेशकों के नाम	वित्त वर्ष २०१७-१८ के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकों की संख्या		
	आयोजित	भाग लेने के लिए पात्र	भाग लिया
श्री. अजॉय मेहता	५	५	0
श्री. नितिन नंदकिशोर करीर	५	५	१
श्रीमती अश्विनी सतीश भिड़े	५	५	५
श्री. उर्विंदर पाल सिंह मदन	५	५	४
श्री. राजीव गौबा	५	१	१
श्री. अनूप कुमार गुप्ता	५	५	४
श्री. मुकुंद कुमार सिन्हा	५	५	५
श्रीमती झंझा त्रिपाठी	५	५	४
श्री. दिनेश कुमार जैन	५	५	0
श्री. अजय कुमार ए. भट्ट	५	५	५
श्री. सुबोध कुमार गुप्ता	५	५	५
डॉ. कैलाश कुमार अग्रवाल	५	५	२
श्री. आदित्य प्रकाश मिश्र	५	५	४
श्री. राहुल दुर्गाप्रसाद अस्थाना	५	५	३

बोर्ड की दो बैठकों के बीच का समयांतराल १२० दिनों से अधिक नहीं था. बोर्ड की सभी बैठकों के लिए पर्याप्त गणपूर्ति थी. कंपनी बोर्ड की बैठकों के संचालन के संबंध में भारतीय कंपनी सचिव संस्था (आईसीएसआई) द्वारा जारी संशोधित साचिविक मानक-१ (एसएस -१) के अंतर्गत आवश्यक अनुपालन का पालन करती है.

(बी) लेखा परीक्षा समिति

कंपनी अधिनियम, २०१३ के प्रावधानों के अनुसार, निदेशक मंडल ने निदेशक मंडल की एक लेखा परीक्षा समिति का गठन किया है.

लेखापरीक्षा समिति के लिए गणपूर्ति व्यक्तिगत रूप से उपस्थित २ सदस्य हैं.

३१ मार्च २०१८ को लेखापरीक्षा समिति की संरचना और इसके सदस्यों द्वारा जिन बैठकों में भाग लिया गया उसका विवरण नीचे दिया गया है:

क्रमांक	नाम	पदनाम	वर्ष के दौरान बैठकों की संख्या		
			आयोजित	अधिकारी	भाग लिया
१.	श्री. यू. पी. एस. मदन	सदस्य	३	२	१
२.	श्री. राहुल अस्थाना	स्वतंत्र निदेशक/सदस्य	३	३	२
३.	श्री. आदित्य प्रकाश मिश्र	स्वतंत्र निदेशक/सदस्य	३	३	३
४.	श्रीमती झंझा त्रिपाठी	स्थाई आमंत्रिति	३	३	२
५.	श्रीमती अश्विनी भिड़े	एमडी/स्थाई आमंत्रिति	३	३	३
६.	श्री. अबोध खंडेलवाल	निदेशक वित्त और सीएफओ/स्थाई आमंत्रिति	३	३	३
७.	श्री. अजय कुमार ए. भट्ट	सदस्य	३	१	१

लेखापरीक्षा समिति के पुनर्गठन के कारण श्री अजयकुमार ए. भट्ट २३/०७/२०१७ से अब लेखा परीक्षा समिति के सदस्य नहीं हैं.

वित्तीय वर्ष २०१७-२०१८ के दौरान लेखापरीक्षा समिति की बैठकें ८ मई, २०१७; २४ जुलाई, २०१७; २३ सितंबर, २०१७ को आयोजित की गई थीं.

२४ जुलाई, २०१७ को आयोजित बोर्ड की बैठक में कंपनी ने अपनी लेखापरीक्षा समिति का निम्नानुसार पुनर्गठन किया :

क्रमांक	नाम	पदनाम
१.	श्री यू.पी.एस. मदन	अध्यक्ष
२.	श्री राहुल अस्थाना	स्वतंत्र निदेशक और सदस्य
३.	श्री आदित्य प्रकाश मिश्र	स्वतंत्र निदेशक और सदस्य
४.	श्रीमती झंझा त्रिपाठी	स्थायी आमंत्रिति
५.	श्रीमती अश्विनी भिड़े	एमडी/स्थाई आमंत्रिति
६.	श्री अबोध खंडेलवाल	निदेशक वित्त और सीएफओ/स्थाई आमंत्रिति

(सी) नामांकन और पारिश्रमिक समिति

कंपनी अधिनियम, २०१३ के प्रावधानों के अनुसार, निदेशक मंडल ने निदेशक मंडल की नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन किया है.

नामांकन और पारिश्रमिक समिति के लिए गणपूर्ति व्यक्तिगत रूप से उपस्थित दो सदस्य हैं.

नामांकन और पारिश्रमिक समिति की संरचना और ३१ मार्च २०१८ तक इसके सदस्यों द्वारा जिन बैठकों में भाग लिया गया था उसका विवरण नीचे दिया गया है :

क्रमांक	नाम	पदनाम	वर्ष के दौरान बैठकों की संख्या	
			अधिकारी	भाग लिया
१.	डॉ नितिन करीर	अध्यक्ष	२	१
२.	श्रीमती झंझा त्रिपाठी	सदस्य	२	२
३.	श्रीमती अश्विनी भिड़े	सदस्य	२	२
४.	श्री राहुल अस्थाना	स्वतंत्र निदेशक	२	१
५.	श्री आदित्य प्रकाश मिश्र	स्वतंत्र निदेशक	२	१

वर्ष के दौरान नामांकन और पारिश्रमिक समिति की बैठक २४ जुलाई, २०१७, और ८ फरवरी, २०१८ को आयोजित की गई थी.

कंपनी अधिनियम, २०१३ के प्रावधानों द्वारा अनिवार्य बनाई गई संरचना के संदर्भ में कंपनी नामांकन और पारिश्रमिक समिति का पुनर्गठन करने की प्रक्रिया में है.

नामांकन और पारिश्रमिक नीति की एक प्रति इस प्रतिवेदन में अनुलग्नक एक के रूप में संलग्न है

(डी) कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति

कंपनी अधिनियम, २०१३ की धारा १३५ के प्रावधान के अनुसार निदेशक मंडल ने निदेशक मंडल की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का गठन किया है.

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति के लिए गणपूर्ति व्यक्तिगत रूप से उपस्थित दो सदस्य हैं.

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति की संरचना और ३१ मार्च २०१८ तक इसके सदस्यों द्वारा जिन बैठकों में भाग लिया गया था उनका विवरण नीचे दिया गया है :

क्रमांक	नाम	पदनाम	वर्ष के दौरान बैठकों की संख्या
१.	श्री राहुल अस्थाना	अध्यक्ष	0
२.	श्री आदित्य प्रकाश मिश्र	सदस्य	0
३.	श्रीमती अश्विनी भिड़े	सदस्य	0

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई थी.

कंपनी को सीएसआर समिति का गठन करना है, क्योंकि यह कंपनी की निवल संपत्ति से संबंधित कंपनी अधिनियम, २०१३ की धारा १३५ (१) के अंतर्गत निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करती है. हालांकि, कंपनी ने पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए कोई लाभ नहीं उठाया है. तदनुसार, वित्तीय वर्ष के दौरान लिए जाने हेतु अपेक्षित सीएसआर दायित्व शून्य था.

व्यय किए गए सीएसआर के साथ सीएसआर नीति के विवरण और गैर-व्यय के कारण, यदि कोई हैं, इस प्रतिवेदन के अनुलग्नक दो के रूप में संलग्न हैं.

(ई) शेयर आवंटन समिति

कंपनी अधिनियम, २०१३ के प्रावधान के अनुसार, निदेशक मंडल ने निदेशक मंडल की शेयर आवंटन समिति का गठन किया है. समिति निदेशक मंडल की निवार्य समिति है.

शेयर आवंटन समिति के लिए गणपूर्ति व्यक्तिगत रूप से उपस्थित दो सदस्य हैं.

शेयर आवंटन समिति की संरचना और ३१ मार्च २०१८ तक इसके सदस्यों द्वारा जिन बैठकों में भाग लिया गया था उनका विवरण नीचे दिया गया है:

क्रमांक	नाम	पदनाम	वर्ष के दौरान बैठकों की संख्या	
			अधिकारी	भाग लिया
१.	श्री यू.पी.एस. मदन	अध्यक्ष	३	३
२.	श्रीमती झंझा त्रिपाठी	सदस्य	३	0
३.	श्रीमती अश्विनी भिड़े	सदस्य	३	३
४.	श्री राहुल अस्थाना	स्वतंत्र निदेशक /सदस्य	३	३
५.	श्री आदित्य प्रकाश मिश्र	स्वतंत्र निदेशक/ सदस्य	३	२

शेयर आवंटन समिति की बैठक ३१ मई, २०१७; वर्ष के दौरान ३० जनवरी २०१८ और १९ मार्च, २०१८ को आयोजित की गई थी.

१०. निदेशक मंडल का वार्षिक मूल्यांकन :

निदेशक मंडल ने कंपनी अधिनियम, २०१३ द्वारा यथा अनिवार्य निदेशक मंडल के वार्षिक मूल्यांकन के लिए मूल्यांकन ढांचा अपनाया है. कंपनी अधिनियम, २०१३ की अनुसूची चार के अंतर्गत आयोजित अपनी बैठक में स्वतंत्र निदेशक कार्यकारी और गैर-स्वतंत्र निदेशकों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करते हैं. इसके अतिरिक्त, नामांकन और पारिश्रमिक समिति नामांकन और पारिश्रमिक नीति के मापदंडों के अनुसार निर्धारित मानदंडों के आधार पर सभी निदेशकों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करती है. इसके अतिरिक्तं, निदेशक मंडल स्थापित मापदंडों के आधार पर निदेशक मंडल, बोर्ड की समितियों और समग्र रूप से बोर्ड के प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है.

११. कंपनी के वित्तीय वर्ष के अंत के मध्य में हुए कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले महत्वपपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धताएँ, यदि कोई हैं, जिससे वित्तीय विवरण और प्रतिवेदन की तिथि संबंधित है

कंपनी के वित्तीय वर्ष के अंत के मध्य में हुआ कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाला कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धता नहीं है, जिससे वित्तीय विवरण और प्रतिवेदन की तिथि संबंधित है.

१२. चल रही संस्था की स्थिति और भविष्य में कंपनी के परिचालन को प्रभावित करने वाले नियामकों या अदालतों या न्यायाधिकरणों द्वारा जारी किए गए महत्वपूर्ण और वस्तुगत आदेशों का विवरण

- आवेदन संख्या, २०१५ का ३४ (डब्लूजेड) एनजीटी, वनशक्ति बनाम भारत संघ और अन्य. एनजीटी ने १४/०५/२०१८ को एमएमआरसी को आवेदन लंबित रहने के दौरान मलबा डंप करने, भूमि सुधार और पेड़ों को काटने से रोकने वाला आदेश पारित किया.
- डब्ल्यूपी सं. २१०७ का २०१७ बंबई हाईकोर्ट, रॉबिन जयसिंघानी बनाम सीनियर इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, कफ परेड पुलिस स्टेशन और अन्य. उच्च न्यायालय ने रात में १० बजे से सुबह ६ बजे तक निर्माण और संबद्ध गतिविधियों पर रोक लगाई.
- डब्ल्यूपी सं ०१८ का ९५७, बंबई हाईकोर्ट सुभाष रामरावसागर बनाम एमआईडीसी, एमएमआरसीएल. २८ मार्च, २०१८ को, उच्च न्यायालय ने यथास्थिति का आदेश दिया. एमआईडीसी, अंधेरी में ३ संरचनाओं के विध्वंस पर रोक लगाई.

१३. जमाएँ:

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने किसी भी जमा को ग्रहण, स्वीकार नहीं किया है. इसके अतिरिक्त, ऐसी कोई बकाया राशि नहीं है जो कंपनी (जमाओं की स्वीकृति) नियम, २०१४ के दायरे में आती है.

१४. सांविधिक लेखा परीक्षक :

सरकारी कंपनी होने के नाते, कंपनी अधिनियम, २०१३ की धारा १३९ (५) के प्रावधानों के अनुसार, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) के कार्यालय द्वारा कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति की गई है.

सीएजी ने वित्तीय वर्ष २०१७-१८ के लिए कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में मैसर्स ए.टी. जैन एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (फर्म पंजी. सं. : १०३८८६डब्ल्यू) को नियुक्त किया है देखें पत्र दिनांकित ४ अगस्त, २०१७.

इसके अतिरिक्त, सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा कंपनी अधिनियम, २०१३ की धारा १४३ (१२) के अंतर्गत कोई धोखाधड़ी सूचित नहीं की गई है, जिसके लिए निदेशकों के प्रतिवेदन या केंद्र सरकार को रिपोर्टिंग में प्रकटीकरण की आवश्यकता है.

आंतरिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति:

वित्तीय वर्ष २०१७-२०१८ के दौरान, कंपनी ने आंतरिक लेखा परीक्षा करने के लिए कंपनी के आंतरिक लेखा परीक्षक के रूप में मैसर्स जैन चौधरी एंड कं, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, मुंबई को नियुक्त किया है.

१५. सांविधिक लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन पर टिप्पणियाँ :

सांविधिक लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन में कोई टिप्पणी, आलोचना या आख्याएँ नहीं है, जिसके लिए कंपनी के निदेशक मंडल से उत्तर की आवश्यकता है. सभी टिप्पणियां, आलोचना या आख्याएं, यदि कोई हैं, प्रकृति में स्व-स्पष्टीकारी हैं.

१६. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) का प्रतिवेदन :

वित्तीय वर्ष २०१७-१८ के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा समीक्षा और लेखा परीक्षा लंबित है और तदनुसार, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रतीक्षित है.

१७. साचिविक लेखा परीक्षक :

निदेशक मंडल ने कंपनी अधिनियम, २०१३ की धारा २०४ के प्रावधानों के संदर्भ में कंपनी के लिए साचिविक लेखा परीक्षक के रूप में मेसर्स डी.ए. कामत एंड कंपनी, कंपनी सचिव, मुंबई को नियुक्त किया है. उनकी साचिविक लेखापरीक्षा की एक प्रति अनुलग्नक तीन के रूप में इस प्रतिवेदन का भाग है.

साचिविक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में कोई टिप्पणी, आलोचना या आख्याएं नहीं है, जिसके लिए कंपनी के निदेशक मंडल से उत्तर की आवश्यकता है. सभी टिप्पणियाँ, आलोचना या आख्याएं, यदि कोई हैं, प्रकृति में स्व-स्पष्टीकारी हैं.

१८. साचिविक लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन पर टिप्पणियों का उत्तर :

२४ जुलाई, २०१७ को आयोजित अपनी बैठक में बोर्ड ने कंपनी अधिनियम, २०१३ की धारा १७७ के अंतर्गत कंपनी की अपनी लेखापरीक्षा समिति का पुनर्गठन किया और कंपनी ने कंपनी की नामांकन और पारिश्रमिक समिति के पुनर्गठन के संबंध में धारा १७८ की आवश्यकताओं का पालन किया है.

१९. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा अर्जन और निर्गम:

वित्तीय वर्ष २०१७-१८ के दौरान, ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा अर्जन और निर्गम का विवरण निम्नानुसार है :

ए) ऊर्जा संरक्षण :	
(i) उठाए गए कदम या ऊर्जा संरक्षण पर प्रभाव;	i. मेट्रो सिस्टम में बेस लाइटिंग के रूप में एलईडी. ii. एलईडी बेस साइनेज उपलब्ध कराना
(ii) ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का उपयोग करने के लिए कंपनी द्वारा उठाए गए कदम;	i. प्राकृतिक प्रकाश की चैनलिंग. ii. डिपो आदि में सौर ऊर्जा का कार्यान्वयन

(iii) ऊर्जा संरक्षण उपकरणों पर पूंजीगत निवेश;	i. स्टेशनों पर स्मार्ट लाइटिंग यानी पब्लिक ऑक्यूपेशन बेस लाइटिंग, प्राकृतिक लाइटिंग मिक्स लाइटिंग, गैर-पीक अवधियों के दौरान डिमर का उपयोग. ii. लाइटिंग नियंत्रण के लिए यात्री घनत्व की वीडियो निगरानी. iii. पब्लिक ऑक्युपेशन के आधार पर नियंत्रित एयर कंडीशनिंग. iv. उच्च दक्षता वाले चिलर संयंत्र का उपयोग.
(बी) प्रौद्योगिकी अवशोषण :	
(i) प्रौद्योगिकी अवशोषण की दिशा में किए गए प्रयास;	i. निविदा मूल्यांकन के दौरान रिजनरेटिव ब्रेकिंग को जोड़ना. ii. कोचों में एलईडी आधारित स्मार्ट लाइटिंग और स्मार्ट एसी. iii. हल्के वजन वाली बोगियाँ.
(ii) उत्पाद सुधार, लागत में कमी, उत्पाद विकास या आयात प्रतिस्थापन जैसे व्युत्पन्न लाभ;	i. स्थायी मैग्नेट मोटर्स. ii. कोचों में एचवीएसी में हीट एक्सचेंजर.
(iii) आयातित प्रौद्योगिकी के मामले में (वित्तीय वर्ष की शुरुआत से गिने गए पिछले तीन वर्षों के दौरान आयातित) -	
(ए) आयातित प्रौद्योगिकी का विवरण;	
बी) आयात का वर्ष;	
(सी) क्या तकनीक पूरी तरह से अवशोषित हो गई है;	
(डी) यदि पूरी तरह से अवशोषित नहीं हुई है, तो अवशोषण कहाँ नहीं हुआ है, और इसके कारण; तथा	
(iv) अनुसंधान और विकास पर किया गया व्यय.	
(सी) विदेशी मुद्रा अर्जन और निर्गम :	
वर्ष के दौरान वास्तविक अंतर्वाह के रूप में अर्जित विदेशी मुद्रा और वास्तविक बहिर्वाह के रूप में वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा निर्गम.	शून्य

२०. कंपनी अधिनियम २०१३ की धारा १३४(३) (जी) के संदर्भ में ऋणों, निवेशों और गारंटी का विवरण

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने कोई ऋण नहीं दिया है, कोई भी निवेश नहीं किया है या किसी ऋण पर गारंटी नहीं दी है जो कंपनी अधिनियम, २०१३ की धारा १३४ (३) (जी) के प्रावधानों के दायरे में आता है और, इसलिए, इसका कोई प्रकटीकरण किए जाने की आवश्यकता नहीं है.

२१. संबंधित पक्षों के साथ अनुबंधों या व्यवस्थाओं का विवरण

निर्धारित प्रारूप एओसी-२ में वित्तीय वर्ष २०१७-१८ के लिए कंपनी अधिनियम २०१३ की धारा १८८ (१) में संदर्भित संबंधित पक्षों के साथ अनुबंधों या व्यवस्थाओं का विवरण इस प्रतिवेदन में अनुलग्नक चार के रूप में संलग्न किया गया है.

२२. वार्षिक विवरण का उद्धरण

कंपनी अधिनियम, २०१३ के प्रावधानों के अंतर्गत यथा आवश्यक फॉर्म एमजीटी-९ में वित्तीय वर्ष २०१७-१८ के लिए वार्षिक विवरण का उद्धरण इस प्रतिवेदन में अनुलग्नक पाँच के रूप में संलग्न है.

२३. कर्मचारीगण

(i) कोई भी कर्मचारी रु. ८,५०,००० प्रति माह या रु. १,०२,००,००० प्रति वर्ष से अधिक पारिश्रमिक का आहरण नहीं कर रहा है. कार्यात्मक निदेशकों को भुगतान किए गए पारिश्रमिक का विवरण वित्तीय वर्ष २०१७-१८ के लिए लेखा-परीक्षित खातों में वर्णनानुसार है.

(ii) इसके अतिरिक्त, एतदद्वारा निदेशक मंडल निर्दिष्ट करता है कि कंपनी को समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध, और निवारण) अधिनियम, २०११ के अंतर्गत कोई शिकायत नहीं मिली है.

२४. कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध, और निवारण) अधिनियम, २०११ के अंतर्गत प्रकटीकरण

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध, और निवारण) अधिनियम, २०११ के अंतर्गत कंपनी द्वारा कोई शिकायत नहीं प्राप्त की गई थी.

२५. लागत लेखा परीक्षक

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी को लागत लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करने की आवश्यकता नहीं थी.

२६. जोखिम प्रबंधन नीति :

कंपनी की कंपनी के कारोबार की प्रकृति के अनुरूप जोखिम प्रबंधन नीति है. निदेशक मंडल/लेखा परीक्षा समिति द्वारा नियमित रूप से समीक्षा/निगरानी की जाती है, जैसा कि उचित समझा जाता है.

बोर्ड की राय में, कंपनी के अस्तित्व के लिए खतरनाक कोई दृश्य जोखिम नहीं है.

२७. आंतरिक वित्तीय नियंत्रण:

अन्य बातों के साथ निदेशक मंडल द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय विवरणों के संबंध में कंपनी की आंतरिक नीतियों और प्रक्रियाओं की समीक्षा की जाती है कि धोखाधड़ियों और त्रुटियों की, यदि कोई हैं, व्यवस्थित और कुशल पहचान हो. इसके अतिरिक्त, लेखांकन अभिलेखों की परिशुद्धता और पूर्णता निश्चित करने के लिए आंतरिक नीतियाँ और प्रक्रियाएँ विद्यमान हैं और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की तैयारी के लिए प्रणाली विद्यमान है.

२८. निदेशकों का उत्तरदायित्व वक्तव्य

निदेशकों द्वारा एतद् द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है कि :

(ए) वार्षिक लेखों की तैयारी में महत्वूपर्ण प्रस्थान से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया है;

(बी) निदेशकों द्वारा ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया गया है और उन्हें सुसंगत रूप से लागू किया गया है और निर्णय किया और अनुमान लगाया गया है जो वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के मामलों की स्थिति और उक्त अवधि के लिए कंपनी के लाभ और हानि की सही और निष्पक्ष दृष्टि देने के लिए उचित और विवेकपूर्ण हैं.;

(सी) निदेशकों द्वारा कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताएँ रोकने और पता लगाने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों के अनुरक्षण के लिए उचित और पर्याप्त एहतियात बरती गई है;

(डी) निदेशकों द्वारा चल रही संस्थाकआधार पर वार्षिक लेखे तैयार किए गए थे; तथा

(ई) निदेशकों द्वारा सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियां तैयार की गई हैं और कि इस तरह की प्रणालियां पर्याप्त थीं और प्रभावी ढंग से परिचालन कर रही थीं.

२९. अभिस्वीकृतियाँ

निदेशक मंडल द्वारा भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार और नियामक प्राधिकरणों के प्रति उनके समर्थन के लिए कृतज्ञता व्यक्त की जाती है. बोर्ड द्वारा अपने बैंकरों, कर्मचारियों और अधिकारियों के प्रति उनके समर्थन और सहयोग के लिए ईमानदारी से अपना आभार व्यक्त किया जाता है.

मुंबई मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड के
निदेशक मंडल के लिए और की ओर से

स्थान : नई दिल्ली **कृते**
दिनांक : २३/०७/२०१८ **अध्यक्ष**

फॉर्म सं. एमआर-३

साचिविक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

३१ मार्च, २०१८ को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

(कंपनी अधिनियम २०१३ की धारा २०४ (१) और कंपनियाँ (नियुक्ति और पारिश्रमिक कार्मिक) नियम, २०१४ के नियम सं. ९ के अनुसार)

सेवा में,

सदस्यगण,

मुंबई मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई

हमने मुंबई मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड (इसके बाद ''कंपनी'' कहा गया है) द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और उत्तम कॉर्पोरेट प्रथाओं के अनुपालन की साचिविक लेखा परीक्षा को किया है. साचिविक लेखा परीक्षा को इस प्रकार किया गया था कि जिससे हमें कॉर्पोरेट आचरण/सांविधिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने का उचित आधार मिला. हमारा प्रतिवेदन इस प्रतिवेदन के अनुलग्नक एक और अन्य अनुलग्नकों में संलग्न टिप्पणी के साथ पढ़ा जाना चाहिए, जो इस प्रतिवेदन का अभिन्न अंग हैं.

कंपनी के बही खातों, कागजातों, कार्य विवरण पुस्तकों, दाखिल फॉर्मों और विवरणों और कंपनी द्वारा रखे गए अन्य अभिलेखों और साथ ही कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंटों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा, साचिविक लेखा परीक्षा करने के दौरान दी गई जानकारी के अपने सत्यापन के आधार पर, मैं एतद् द्वारा प्रतिवेदन करता/करती हूँ कि मेरी राय में, कंपनी ने ३१ मार्च, २०१८ को समाप्त वित्तीय वर्ष को अच्छादित करने वाली लेखापरीक्षा अवधि के दौरान एतदधीन सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का पालन किया है और साथ ही यह भी कि कंपनी में इस सीमा तक, इस प्रकार और एतद् पश्चात की गई रिपोर्टिंग के अधीन उचित बोर्ड प्रक्रिया और अनुपालन-तंत्र है :

हमने कंपनी द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और उत्तम कॉर्पोरेट प्रथाओं के अनुपालन की साचिविक लेखा परीक्षा किया है. साचिविक लेखा परीक्षा को इस प्रकार किया गया था कि जिससे हमें कॉर्पोरेट आचरण/सांविधिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने का उचित आधार मिला.

I. हमने ३१ मार्च, २०१८ को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा रखे गए और निम्नांकित के प्रावधानों के अनुसार अनुलग्नक दो में बताए गए बही खातों, कागजातों, कार्य विवरण पुस्तकों, दाखिल फॉर्मों और विवरणों, विभिन्न साथी पेशेवरों द्वारा जारी प्रतिवेदनों और अन्य लागू अभिलेखों और रजिस्टरों का परीक्षण किया है :

१. कंपनी अधिनियम, २०१३ (अधिनियम) और इसके अंतर्गत बनाए गए नियम (संदर्भ टिप्पणी १ और २);

२. मेट्रो रेलवे (कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्क्स) अधिनियम, १९७८;

३. मेट्रो रेलवे (परिचालन एवं रखरखाव) अधिनियम, २००२;

४. भारतीय रेलवे अधिनियम, १८९०.

५. कंपनी अधिनियम, २०१३ (अधिनियम) और इसके अंतर्गत बनाए गए नियम, कंपनी के लिए वर्तमान लागू तक

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने इस प्रतिवेदन में बताई गई सीमा तक उपरोक्त उल्लेखित अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों इत्यादि के प्रावधानों का पालन किया है.

६. चूँकि कंपनी एक गैर-सूचीबद्ध पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, अत: भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, १९९२ ('सेबी अधिनियम') के अंतर्गत निर्धारित निम्नलिखित विनियमों और दिशानिर्देशों के प्रावधान प्रतिवेदनाधीन वित्तीय वर्ष २०१७-१८ के अंतर्गत कंपनी पर लागू नहीं होते थे :

(ए) भारतीय प्रतिभूति एंव विनिमय बोर्ड (शेयरों का सारगर्भित अधिग्रहण और नियंत्रण में लेना) विनियम, २०११;

(बी) भारतीय प्रतिभूति एंव विनिमय बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, १९९२;

(सी) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूँजी निर्गमन और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, २००९;

(डी) भारतीय प्रतिभूति एंव विनिमय बोर्ड (कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना और कर्मचारी स्टॉक क्रय योजना) दिशानिर्देश, १९९९;

(ई) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गमन और सूचीबद्धता) विनियम, २००८;

(एफ) कंपनी अधिनियम और ग्राहक से व्यवहार के संबंध में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (निर्गमन और शेयर हस्तांतरण एजेंट्स के रजिस्ट्रार) विनियम, १९९३;

(जी) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों का वितरण) विनियम, २००९; और

(एच) प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की वापसी खरीद) विनियम, १९९८;

(आई) भारतीय प्रतिभूति एंव विनिमय बोर्ड (स्टॉक ब्रोकर्स और सब-ब्रोकर्स) विनियम, १९९२.

(जे) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (जमाकर्ता और प्रतिभागी) विनियम, १९९६

(के) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इन्साइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, १९९२ (बाजार मध्यस्थ पर लागू सीमा तक);

(एल) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (अनुसंधान विश्लेषक) विनियम, २०१४

(एम) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व व प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, २०१५ और सूचीबद्धता समझौते.

II. हम पुन: प्रतिवेदन करते हैं कि जाँच-परीक्षण के आधार पर कंपनी में प्रचलित अनुपालन प्रणाली के संबंध में और इसका अनुपालन करते हुए प्रासंगिक प्रस्तुतियों और दस्तावेजों की जाँच के आधार पर, कंपनी ने अनुलग्नतक तीन में यथा निर्दिष्ट विशेष रूप से कंपनी के लिए लागू कानूनों का पालन किया है.

II. हमने भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी किए गए और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किए गए अनुसार और १ जुलाई, २०१५ से प्रभावी होने के साथ लागू साचिविय मानक एक और दो के लागू प्रावधानों के अनुपालन की जाँच की है.

हम आगे प्रतिवेदन करते हैं कि :

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम, २०१३ के प्रावधानों और लागू प्रावधानों के अनुसार विधिवत गठित किया गया है. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में हुआ परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किया गया था.

बोर्ड की बैठकें नियत करने के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त नोटिस दिया गया है, एजेंडा और एजेंडा पर विस्तृत टिप्पणियाँ कम से कम सात दिन पहले भेजी गईं थीं और साथ ही कंपनी अधिनियम, २०१३ और कंपनी के संस्था अंतर्नियम के अनुसार संक्षिप्त नोटिस से संबंधित प्रावधानों का भी पालन किया था, और बैठक के समक्ष एजेंडा मदों पर और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए और जानकारी और स्पष्टीकरण माँगने और प्राप्त करने के लिए प्रणाली विद्यमान है. बहुमत से निर्णय कार्यान्वित किया जाता है जबकि असहमत सदस्यों के विचार, यदि कोई हैं, कार्य विवरण के भाग के रूप में अभिग्रहित और अभिलेखित किए जाते हैं.

हम पुन: प्रतिवेदन करते हैं कि समीक्षाधन वर्ष के दौरान कंपनी ने उपर्युक्त संदर्भित कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों, मानकों का अनुपालन करते हुए कंपनी के मामलों पर बड़ा असर डालने वाले निम्नलिखित कार्यक्रम/कार्रवाई आरंभ की है.

१. कंपनी ने कंपनी अधिनियम, २०१३ की धारा ६२ के प्रावधानों का भलीभांति अनुपालन करते हुए भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार के नामांकित व्यक्तियों को रू. १००-१०० के ८,००,००,००० इक्विटी शेयरों का राइट इश्यू किया है, विवरण नीचे दिया गया है :

क्रमांक	शेयर आवंटन समिति की बैठक की तिथि	शेयरों की संख्या	कुल प्रतिफल
१.	३१ मई, २०१७	४,००,००,०००	४,००,००,००,०००
२.	३० जनवरी, २०१८	२,००,००,०००	२,००,००,००,०००
३.	१९ मार्च, २०१८	२,००,००,०००	२,००,००,००,०००

२. कंपनी के विभिन्न न्यायालयों के अंतर्गत और विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत लंबित मुकदमे हैं जिनके लिए हमने प्रबंधन अभ्यावेदन प्राप्त किया है. मामला विचाराधीन होने के नाते, हम इस पर टिप्पणी नहीं करते हैं.

३. कंपनी ने बॉम्बे शॉप एंड इस्टैब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत प्रमाण-पत्र प्राप्त किया है, चूंकि कंपनी ने पहले इसे गलत स्थान पर रख दिया था.

स्थान : मुंबई

तिथि : १८/०७/२०१८

कृते/-

फर्म का नाम : डी.ए. कामत एंड कं.

एफसीएस सं. ३८४३

सीपी सं. ४९६५

अनुलग्नक एक - मुंबई मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड के साचिविक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन दिनांकित १८/०७/२०१८ पर टिप्पणियाँ

यहाँ तक कि तिथि का हमारा प्रतिवेदन निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ पढ़ा जाए :

१. साचिविक अभिलेख का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन की ज़िम्मेदारी है. हमारी ज़िम्मेदारी अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन साचिविक अभिलेखों पर राय व्यक्त करना है.

२. हमने लेखा परीक्षा प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया है जो साचिविक अभिलेखों की सामग्री की शुद्धता के संबंध में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त थीं. यह सुनिश्चित करने के लिए सत्यापन जाँच-परीक्षण आधार पर किया गया था कि साचिविक अभिलेखों में सही तथ्य परिलक्षित हों. हमारा मानना है कि जिन प्रथाओं और प्रक्रियाओं का हमने पालन किया, हमारी राय के लिए उचित आधार प्रदान करते हैं.

३. हमने कंपनी के वित्तीय अभिलेखों और बही खातों की शुद्धता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है.

४. जहाँ भी आवश्यक था, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और घटनाओं के होने के संबंध में प्रबंधन अभ्यावेदन प्राप्त किया है.

५. कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों के प्रावधानों, मानकों का अनुपालन प्रबंधन की ज़िम्मेदारी है. हमारा परीक्षण जाँच-परीक्षण के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक ही सीमित था.

६. साचिविक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन न तो कंपनी के भविष्य की व्यवहार्यता और न ही प्रभावकारिता या प्रभावशीलता के संबंध में आश्वासन है जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है.

स्थान : मुंबई

तिथि : १८/०७/२०१८

कृते/-

फर्म का नाम : डी.ए. कामत एंड कं.

एफसीएस सं. ३८४३

सीपी सं. ४९६५

अनुलग्नक २ - साचिविक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन दिनांकित १८/०७/२०१८ के उद्देश्य से रखे गए गए और अनुशीलन किए गए दस्तावेजों की सूची

सं.	दस्तावेज़ों की सूची
१.	समिति की बैठकों सहित निदेशक मंडल की बैठकों का कार्य विवरण (अनिवार्य और निवार्य)
२.	निदेशकों को जारी नोटिस और उसके भेजे गए एजेंडा पत्र
३.	निदेशक मंडल और शेयरधारकों की बैठक के लिए उपस्थिति रजिस्टर
४.	कंपनी की सामान्य बैठकों के नोटिस और कार्यविवरण
५.	कंपनी द्वारा रखे गए सांविधिक रजिस्टर
६.	कंपनी अधिनियम, २०१३ की धारा १८४ के प्रावधानों के अनुसार निदेशकों द्वारा जारी और कंपनी द्वारा रखा गया हित का सामान्य और विशिष्ट प्रकटीकरण
७.	कंपनी अधिनियम, २०१३ के संबंध में तैयार किए गए वित्तीय विवरणों का मसौदा और वित्तीय वर्ष २०१७-१८ के लिए लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन का मसौदा
८.	लागू प्राधिकरणों द्वारा जारी पंजीकरण लाइसेंस सहित ठेकेदारों द्वारा जारी अनुपालन प्रमाण पत्र (जाँच-परीक्षण आधार)
९.	परियोजना के अंतर्गत विभिन्न पैकेजों के लिए जाँच-परीक्षण आधार पर विशेष रूप से लागू कानूनों की प्रयोज्यता की जाँच-सूची और विवरण.

अनुलग्नक तीन - प्रबंधन द्वारा यथा घोषित कंपनी के लिए विशेष रूप से लागू अन्य अधिनियमों की सूची :

१. मेट्रो रेलवे (कांस्ट्रक्शन ऑफ वर्क्स) अधिनियम, १९७८;

२. मेट्रो रेलवे (परिचालन और रखरखाव) अधिनियम, २००२;

३. मेट्रो रेलवे (संशोधन) अधिनियम, २००२

४. भारतीय रेलवे अधिनियम, १८९०

भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग कार्यालय प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा तथा पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड-१, मुम्बई

गोपनीय/शीघ्र डाक

संख्या: जी ए/सी ए-ख/लेखा/एम एम आर सी एल/२०१७-१८/१५३

सेवा में,
प्रबंध निदेशक,
मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड,
एनएएमटीटीआरआई बिल्डिंग,
प्लॉट नं. आर १३, ई ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स,
बांद्रा (पूर्व), मुंबई- ४०००५१

विषय : ३१ मार्च २०१८ को समाप्त वर्ष हेतु मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम २०१३ की धारा १४३ (६)(बी) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिपणियाँ.

महोदया,

३१ मार्च २०१८ को समाप्त वर्ष हेतु मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम २०१३ की धारा १४३(६) (बी) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के द्वारा दी गई टिपणियाँ इस पत्र के साथ संलग्न हैं. टिप्पणियों को मुद्रित वार्षिक प्रतिवेदन के विषय-सूची मे उचित संकेत सहित सांविधिक लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन के आगे रखा जाए.

वार्षिक सामान्य बैठक के समापन के पश्चात, वित्तीय विवरणों, सांविधिक लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों को अपनाते हुए सामान्य वार्षिक बैठक की कार्यवाही की एक प्रतिलिपि इस कार्यालय को अविलंब अग्रेषित की जाए. मुद्रित वार्षिक रिपोर्ट की दस प्रतियाँ भी इस कार्यालय को भेजी जाएँ. कृपया इस पत्र एवं संलग्नकों की प्राप्ति की सूचना दें.

भवदीय,
हस्ता/-
(गुलजारी लाल)
महानिदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा तथा
पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड-१, मुंबई

संलग्न : यथोपरि.

सातवी मंजिल, आर.टी.आई. बिल्डिंग, प्लॉट नं. सी-२, जी.एन. ब्लॉक, एशियन हार्ट इन्स्टिट्यूट के पीछे,
बान्द्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बान्द्रा (पूर्व), मुंबई - ४०० ०५१.
प्रशासन : +९१ २२ २६५२०८७३ प्रतिवेदन : +९१ २२ २६५०२८४३ फैक्स : +९१ २२ २६८२७१६५
ई-मेल : mabMumbai1@cag.gov.in

३१ मार्च २०१८ को समाप्त वर्ष के लिए मुंबई मेट्रो रेल निगम लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, २०१३ की धारा १४३(६)(बी) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

३१ मार्च २०१८ को समाप्त वर्ष के लिए मुंबई मेट्रो रेल निगम लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की तैयारी कंपनी अधिनियम, २०१३ (अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय प्रतिवेदन रूपरेखा के अनुसार कंपनी के प्रबंधन की ज़िम्मेदारी है. अधिनियम की धारा १३९ (५) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा १४३ (१०) के अंतर्गत निर्धारित लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा १४३ के अंतर्गत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है. यह उनके द्वारा किया गया बताया गया है देखें उनका लेखापरीक्षा प्रतिवेदन दिनांकित २३ जुलाई २०१८.

मैंने, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा १४३ (६) (ए) के अंतर्गत ३१ मार्च २०१८ को समाप्त वर्ष के लिए मुंबई मेट्रो रेल निगम लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखा परीक्षा किया है. यह पूरक लेखापरीक्षा सांविधक लेखा परीक्षकों के कामकाजी कागजात तक पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और मुख्य रूप से सांविधिक लेखा परीक्षकों और कंपनी कर्मियों से पूछताछ और कुछ लेखांकन अभिलेखों के चयनात्मक परीक्षण तक ही सीमित है.

मेरे पूरक लेखापरीक्षा के आधार पर मेरे संज्ञान में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं आया है जो अधिनियम की धारा १४३(६)(बी) के अंतर्गत सांविधिक लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन पर या उसके लिए अनुपूरक किसी भी टिप्पणी को जन्म देता.

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक
के लिए और उनकी ओर से
हस्ता/-
(गुलजारी लाल)
वाणिज्यिक लेखा परीक्षा महानिदेशक और
पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड -१, मुंबई

स्थान : मुंबई
दिनांक : २१/०९/२०१८

ए.टी. जैन एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन

मुंबई मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड के सदस्यों के लिए

वित्तीय विवरणों पर प्रतिवेदन

हमने मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (कंपनी) के संलग्न वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा किया है, जिसमें ३१ मार्च, २०१८ तक बैलेंस शीट, लाभ और हानि का विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), रोकड़ प्रवाह विवरण और तब समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण, और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश और अन्य स्पष्टीकारी जानकारी शामिल है.

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का निदेशक मंडल इन वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के संबंध में कंपनी अधिनियम, २०१३ (अधिनियम) की धारा १३४ (५) में उल्लिखित मामलों के लिए ज़िम्मेदार है जो अधिनियम की धारा १३३ के अंतर्गत कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, २०१५ में निर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानक सहित आमतौर पर भारत में स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तिय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन (अन्य व्यापक आय सहित), रोकड़ प्रवाह और इक्विटी में परिवर्तनों का सही और निष्पक्ष अवलोकन देते हैं. इस उत्तरदायित्व में कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पहचानने; उचित लेखांकन नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; निर्णय और अनुमान जो उचित और विवेकपूर्ण हैं; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के अभिकल्पन, कार्यान्वयन और अनुरक्षण, जो वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक, लेखांकन अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से परिचालन कर रहे थे, के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों का अनुरक्षण भी शामिल है, जो सही और निष्पक्ष अवलोकन देते हैं और महत्वपूर्ण गलतबयानी से मुक्त हैं चाहे धोखाधड़ी के कारण हो या त्रुटि के कारण.

लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करना है. हमने अधिनियम के प्रावधानों, लेखांकन और लेखा परीक्षा मानकों और मामलों का ध्यान रखा है जिन्हें अधिनियम के प्रावधानों और उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में शामिल किया जाना चाहिए.

हमने अधिनियम की धारा १४३ (१०) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखा परीक्षा के मानकों के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा किया है. इन मानकों की आवश्यकता है कि हम नीतिशास्त्री य आवश्यकताओं का पालन करें और इस संबंध में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा का नियोजन और निष्पादन करें कि क्या वित्तीय विवरण महत्वपूर्ण गलतबयानी से मुक्त हैं या नहीं.

लेखा परीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटीकरणों के संबंध में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रियाएँ निष्पादित करना शामिल होता है. चयनित प्रक्रियाएँ लेखांकन परीक्षकों के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों की महत्वापूर्ण गलतबयानी के जोखिमों का आकलन शामिल होता है चाहे धोखाधड़ी के कारण हो या त्रुटिवश. इन जोखिमों का आकलन करने में, लेखा परीक्षक द्वारा कंपनी के वित्तीय विवरण की तैयारी के लिए प्रासंगिक आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर विचार किया जाता है जो परिस्थितियों में उचित लेखा परीक्षा प्रक्रियाएँ अभिकल्पित करने के लिए सही और निष्पक्ष अवलोकन देते हैं. लेखा परीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन और कंपनी के निदेशकों द्वारा लगाए गए लेखांकन अनुमानों की तर्कसंगतता के साथ-साथ वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन करना भी शामिल है.

हमारा मानना है कि हमने जिन लेखा परीक्षा साक्ष्यों को प्राप्त किया है वे वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखा परीक्षा राय का आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हैं.

राय

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपर्युक्त वित्तीय विवरण, अधिनियम द्वारा आवश्यक जानकारी इस प्रकार आवश्यक तरीके से प्रदान करते हैं और ३१ मार्च, २०१८ को कंपनी के मामलों की स्थिति और उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए इसकी हानि (अन्य व्यापक आय सहित), इसके रोकड़ प्रवाह और इक्विटी में परिवर्तन का आमतौर पर भारत में स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सही और निष्पक्ष अवलोकन देते हैं.

अन्य प्रकरण

३१ मार्च, २०१७ को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी की तुलनात्मक वित्तीय जानकारी और १५ अप्रैल, २०१६ को संक्रमण तिथि उद्घाटन बैलेंस शीट जो इन वित्तीय विवरणों में शामिल है, पूर्ववर्ती लेखा परीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित कंपनी (लेखांकन मानक) नियम, २००६ (संशोधित) के अनुसार तैयार किए गए ३१ मार्च २०१७ और ३१ मार्च, २०१६ को समाप्त वर्ष के लिए पूर्व में जारी किए गए सांविधिक वित्तीय विवरणों पर आधारित है, जिस पर उन्होंने २४ जुलाई, २०१७ और ८ सितंबर, २०१६ को अपनी प्रतिवेदन में असंशोधित राय व्यक्त की थी. संक्रमण पर कंपनी द्वारा अपनाए गए लेखांकन सिद्धांतों में अंतरों के लिए उन वित्तीय विवरणों में समायोजन की हमने लेखा परीक्षा किया है.

हमारी राय इस मामले के संबंध में संशोधित नहीं है.

अन्य कानूनी और विनियामकीय आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन

१. जैसा कि अधिनियम की धारा १४३ की उपधारा (११) के संदर्भ में भारत की केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए कंपनी (लेखांकन परीक्षक का प्रतिवेदन) आदेश २०१६ (आदेश) के अनुसार आवश्यक है, हम अनुलग्नक ए में आदेश के अनुच्छेद ३ और ४ में निर्दिष्ट मामलों पर विवरण दे रहे हैं.

२. हमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से वित्तीय वर्ष २०१७-१८ के लिए कोई निर्देश नहीं मिला है, जो कंपनी अधिनियम, २०१३ की धारा १४३ की उपधारा (५) के संदर्भ में परीक्षण किए जाने वाले क्षेत्रों का संकेत देता हो.

३. जैसा कि अधिनियम की धारा १४३ (३) के अनुसार आवश्यक है, हम प्रतिवेदन करते हैं कि :

ए. हमने ऐसी सभी सूचनाओं और स्पष्टीकरणों की माँग की है जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के उद्देश्य के लिए आवश्यक थे;

बी. हमारी राय में, कानून द्वारा यथा आवश्यक उचित खाताबहियाँ कंपनी द्वारा रखी गई हैं जहाँ तक कि उन पुस्तकों की हमारी परीक्षा से प्रतीत होता हैं.

सी. इस प्रतिवेदन द्वारा संव्यवहृत बैलेंस शीट, लाभ और हानि का विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), रोकड़ प्रवाह विवरण और इक्विटी में परिवर्तन का विवरण खाताबहियों के अनुसार है.

डी. हमारी राय में, उपर्युक्त वित्तीय विवरण कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, २०१५ (संशोधित) के नियम ३ के साथ पठित अधिनियम की धारा १३३ के अंतर्गत निर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों का पालन करते हैं.

ई. निदेशक मंडल द्वारा अभिलेख पर लिए गए ३१ मार्च, २०१८ को निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदनों के आधार पर, कोई भी निदेशक अधिनियम की धारा १६४ (२)के संदर्भ में निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए ३१ मार्च, २०१८ को अनर्ह नहीं है.

एफ. कंपनी की वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की प्रचालन प्रभावशीलता के संबंध में, अनुलग्नक बी में हमारा पृथक प्रतिवेदन देखें.

जी. कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, २०१४ के नियम ११ के अनुसार लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन में सम्मिलित किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार :

i. कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर ३१ मार्च, २०१८ तक लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा किया है;

ii. कंपनी का व्युत्पन्न अनुबंध सहित कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था जिसके लिए कोई तात्विक निकटतम हानि थी.

iii. ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरित किए जाने की आवश्यकता थी.

ए.टी. जैन एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
(फर्म पंजीकरण संख्या १०३८८६डब्ल्यु)

हस्ता/-
हितेन सर्वैया
साझेदार
सदस्यता संख्या : १६४०९४
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : २३ जुलाई, २०१८

ए.टी. जैन एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट

मुम्बई मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर सम तिथि के स्वतंत्र लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन का अनुलग्नक ए

हम प्रतिवेदन करते हैं कि

१. ए) कंपनी ने मात्रात्मक विवरण और स्थायी परिसंपत्तियों की स्थिति सहित पूर्ण विवरण दर्शाने वाले उचित अभिलेख रखे हैं.

बी) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा अपने कार्यक्रम के अनुसार स्थायी परिसंपत्तियों का भौतिक रूप से सत्यापन किया गया था. सत्यापन की आवृत्ति उचित है और इस तरह के सत्यापन पर कोई महत्वपूर्ण विसंगतियां नहीं देखी गई हैं.

सी) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की हमारी परीक्षा के आधार पर, अचल संपत्ति के स्वाामित्व विलेख कंपनी के नाम पर धारित किए गए हैं, सिवाय निम्नलिखित अचल संपत्तियों के मामलों के, जहाँ कंपनी को अनुमति और अधिकार प्राप्त हुआ है हालांकि सरकारी अभिलेखों में उत्परिवर्तन प्रविष्टि के रूप में स्वामित्व विलेख लंबित और प्रक्रियाधीन हैं :-

अचल संपत्ति का प्रकार	मामलों की कुल संख्या	लीजहोल्ड/ फ्रीहोल्ड	३१ मार्च २०१८ को सकल/शुद्ध ब्लॉक	टिप्पणियाँ
भूमि	३६	फ्रीहोल्ड	रु. ११२,१४७.६६ लाख	१) अनुदान के रूप में सरकारी प्राधिकरणों से प्राप्त ३५ भूमि पार्सल २) निजी पक्ष (मैसर्स शहर गार्डन होटल प्रा. लि.) से प्राप्त १ भूमि पार्सल
भूमि	२	लीजहोल्ड	रु. १,१०८.२७ लाख	रेलवे प्राधिकरणों से खरीदा गया

२. जैसा कि हमें बताया गया है, कंपनी ने अपना परिचालन शुरू नहीं किया है और कंपनी के पास कोई स्टॉक नहीं है. इसलिए, आदेश के अनुच्छेद ३ के खंड (दो) के अंतर्गत प्रतिवेदन लागू नहीं होता है.

३.कंपनी ने अधिनियम के धारा १८९ के अंतर्गत बनाए गए रजिस्टर में शामिल किसी भी पक्ष को वर्ष के दौरान कोई ऋण नहीं दिया है. इसलिए आदेश के अनुच्छेद ३ (तीन) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं,

४. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने ऋणों, निवेशों, गारंटियों और प्रतिभूतियों के संबंध में अधिनियम की धारा १८५ और १८६ के प्रावधानों का पालन किया है.

५. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने वर्ष के दौरान जनता से कोई जमा नहीं स्वीकार किया है. इसलिए आदेश के अनुच्छेद ३(पांच) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं.

६. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, केंद्र सरकार ने कंपनी अधिनियम, २०१३ की धारा १४८(१) के अंतर्गत लागत अभिलेखों का अनुरक्षण विहित नहीं किया है.

७. ए) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की हमारी परीक्षा के आधार पर, भविष्य निधि, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्यवर्धित कर, उपकर सहित निर्विवाद सांविधिक देयों और अन्य सांविधिक देयों के संबंध में खाताबहियों में कटौती की गई/उपार्जित राशियाँ वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा उचित प्राधिकरणों में जमा की गई हैं.

जैसा कि हमें बताया गया है, कर्मचारियों के राज्य बीमा के कारण कंपनी की कोई देनदारी नहीं थी. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, भविष्य निधि, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर और अन्य सांविधिक बकाया के संबंध में देय कोई निर्विवाद राशि ३१ मार्च २०१८ को देय तिथि से छह महीने से अधिक अवधि तक बकाया नहीं थी जिस तिथि को वे हो जातीं.

बी) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर का कोई महत्वपूर्ण बकाया नहीं है जिसे किसी भी विवाद के कारण उपयुक्त प्राधिकरणों पास जमा नहीं किया गया है.

८. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे द्वारा परीक्षण किए गए दस्तावेजों और अभिलेखों के आधार पर, कंपनी ने सरकार को देय ऋण चुकाने में चूक नहीं की है. कंपनी ने भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार से उप-ऋण ऋण लिया है. कंपनी ने शहरी विकास मंत्रालय (एमओयूडी) से सहायता के माध्यम से पारित के रूप में जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (आईसीए) से भी ऋण का लाभ लिया है. जैसा कि हमें बताया गया है, इनमें से कोई भी ऋण पुनर्भुगतान के लिए बैलेंस शीट की तिथि को देय नहीं हुआ था.

९. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, कंपनी ने प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव या पुन: सार्वजनिक प्रस्ताव के माध्यम से कोई पैसा नहीं उठाया है. वर्ष के दौरान उठाए गए सावधि ऋणों का उन उद्देश्यों के लिए अनुप्रयोग किया गया था जिनके लिए उन्हें उठाया गया था.

१०. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारी लेखा परीक्षा की प्रक्रिया के दौरान कंपनी के साथ या उसके द्वारा कोई धोखाधड़ी नहीं देखी गई थी.

११. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की परीक्षा के आधार पर, कंपनी ने प्रबंधकीय पारिश्रमिक के लिए भुगतान/प्रावधान नहीं किया है. इसलिए आदेश के अनुच्छेद ३ के खंड (नौ) के अंतर्गत प्रतिवेदन पर लागू नहीं होती है.

१२. हमारी राय में और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी निधि कंपनी नहीं है. तदनुसार, आदेश का अनुच्छेद ३ (बारह) लागू नहीं होता है.

१३. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की हमारी परीक्षा के आधार पर,

संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन अधिनियम की धारा १७७ और १८८ का पालन करता हैं जहाँ लागू होते हैं और इस तरह के लेनदेनों के विवरणों का लागू लेखांकन मानकों के अनुसार यथा आवश्यक वित्तीय विवरणों में खुलासा किया गया है.

१४. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की हमारी परीक्षा के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई भी अधिमानी आवंटन या शेयरों या पूरी तरह से या आंशिक रूप से परिवर्तनीय ऋणपत्रों का निजी निर्गमन नहीं किए हैं. इसलिए आदेश के अनुच्छेद ३ के खंड (चौदह) के अंतर्गत प्रतिवेदन लागू नहीं होता है.

१५. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की हमारी परीक्षा के आधार पर, कंपनी ने निदेशकों या उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ गैर-नकदी लेनदेन नहीं किया है. तदनुसार, आदेश का अनुच्छेद ३(पंद्रह) लागू नहीं होता है.

१६. भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, १९३४ की धारा ४५-आईए के अंतर्गत कंपनी को पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है.

ए.टी. जैन एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
(फर्म पंजीकरण संख्या १०३८८६डब्ल्यु)

हस्ता/-
हितेन सर्वैया
साझेदार
सदस्यता संख्या : १६४०९४
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : २३ जुलाई, २०१८

ए.टी. जैन एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट

मुम्बई मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर सम तिथि के स्वतंत्र लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन का अनुलग्नक बी

कंपनी अधिनियम, २०१३ (अधिनियम) की धारा १४३ की उपधारा ३ के खंड (एक) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर प्रतिवेदन

हमने ३१ मार्च, २०१८ तक मुंबई मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड (कंपनी'') के वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के साथ संयोजन में लेखा परीक्षा किया है.

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का प्रबंधन भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा परीक्षा के संबंध मार्गदर्शन टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय प्रतिवेदन मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए ज़िम्मेदार है. इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अभिकल्पन, कार्यान्वयन और रख-रखाव शामिल हैं जो कंपनी की नीतियों के अनुपालन, उसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पहचान, लेखांकन अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता, और कंपनी अधिनियम, २०१३ के अंतर्गत यथा आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी सहित उसके व्यापार का व्यवस्थित और कुशल संचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से परिचालन कर रहे थे.

लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय प्रतिवेदन पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर राय व्यक्त करना है. हमने वित्तीय लेखा परीक्षा पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों (मार्गदर्शन नोट) और आईसीएआई द्वारा जारी और कंपनी अधिनियम, २०१३ की धारा १४३ (१०) के अंतर्गत विहित समझे गए लेखा परीक्षा मानदंडों के अनुसार, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा के लिए लागू सीमा तक लेखा परीक्षा किया है, जो दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर लागू होते हैं, और जो दोनों सनदी लेखाकर संस्थान द्वारा जारी किए गए हैं. इन मानकों और मार्गदर्शन नोट की आवश्यकता है कि हम नीतिशास्त्रीय आवश्यकताओं का पालन करें और इस संबंध में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा का नियोजन और निष्पादन करें कि क्या वित्तीय प्रतिवेदन पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किया और बनाए रखा गया है और क्या ऐसे नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण विषयों में प्रभावी ढंग से परिचालनरत हैं.

हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी प्रचालन

प्रभावशीलता के संबंध में लेखा परीक्षा प्रमाण प्राप्त करने की प्रक्रियाएँ निष्पादित करना शामिल है. वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना, जोखिम का आकलन करना कि महत्वरपूर्ण कमजोरी विद्यमान है और आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की अभिकल्पना और प्रचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल था. चयनित प्रक्रियाएँ लेखा परीक्षकों के निर्णय पर आधारित थीं, जिसमें वित्तीय विवरणों की महत्वपूर्ण गलतबयानी के जोखिमों का आकलन शामिल है, चाहे धोखाधड़ी के कारण हो या त्रुटिवश.

हमारा मानना है कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किया है वह वित्तीय प्रतिवेदन पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखा परीक्षा राय के आधार के लिए पर्याप्त और उचित है.

वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय प्रतिवेदन पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण आम तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाह्य उद्देश्यों के लिए वित्तीय प्रतिवेदन और वित्तीय विवरण की तैयारी की विश्वसनीयता के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए अभिलल्पित की गई प्रक्रिया है. वित्तीय प्रतिवेदन पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियाँ और प्रक्रियाएँ शामिल हैं जो

(१) अभिलेखों के अनुरक्षण से संबंधित हैं, जो उचित विवरण में, कंपनी के लेन-देनों और परिसंपत्ति की प्रकृति को सटीक और निष्पक्ष रूप से प्रतिबिंबित करते हैं;

(२) उचित आश्वासन प्रदान करते हैं कि लेन-देन आम तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति देने के लिए यथा आवश्यक रूप से अभिलेखित हैं, और कि कंपनी का आय और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकारानुसार हो रहा है; और

(३) कंपनी की परिसंपत्तियों का अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग रोकने या समय पर पता लगाने और प्रकृति के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करते हैं, जिनका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है.

वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएँ नियंत्रण की अनुचितता या अनुचित प्रबंधन अधिभूत की संभावना सहित वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलतबयानी हो सकती है और पता नहीं लगाई जा सकती है. साथ ही, भविष्य की अवधि में वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन का प्रक्षेपण इस जोखिम के अधीन है कि वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण परिस्थितियों में बदलावों के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या कि नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की मात्रा बिगड़ सकती है

राय

हमारी राय में, कंपनी में सभी महत्वपूर्ण विषयों में भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक नियंत्रण मानदंडों पर आधारित वित्तीय प्रतिवेदन पर पर्याप्त

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण ३१ मार्च, २०१८ को प्रभावी ढंग से परिचालनरत था.

ए.टी. जैन एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
(फर्म पंजीकरण संख्या १०३८८६डब्ल्यु)

हस्ता/-
हितेन सर्वैया
साझेदार
सदस्यता संख्या : १६४०९४
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : २३ जुलाई, २०१८

ए.टी. जैन एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट

२३ जुलाई, २०१८ को जारी स्वतंत्र लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन में संशोधन

मुंबई मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड के सदस्यों के लिए

हमने मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (कंपनी) के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा किया है, जिसमें ३१ मार्च, २०१८ तक बैलेंस शीट, लाभ और हानि का विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), रोकड़ प्रवाह विवरण और तब समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण, और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश और अन्य स्पष्टीकारी जानकारी शामिल है. जिसके साथ २३ जुलाई, २०१८ को जारी हमारा स्वतंत्र लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन इसके बाद पिछला लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के रूप में संदर्भित) संलग्न है.

हमने अधिनियम के प्रावधानों और लेखांकन और लेखा परीक्षा मानकों और अधिनियम के प्रावधानों और उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन में शामिल किए जाने हेतु आवश्यक विषयों को ध्यान में रखा है. हालांकि, अपने पिछले लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में हम इस तथ्य से अवगत नहीं थे कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने अपनी वेबसाइट पर दिशानिर्देश अपलोड करके धारा १४३ की उपधारा ५ के अंतर्गत दिशा-निर्देश जारी किए हैं. यदि पिछली लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की तिथि को या उससे पहले हमें यह तथ्य ज्ञात होता, तो हमने अपने पिछले लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के निर्देशों के अनुसार प्रतिवेदित किए जाने के लिए आवश्यक विषयों को शामिल किया होता और अतिरिक्त लेखा परीक्षा प्रक्रियाएँ भी निष्पादित की होती.

हमने अधिनियम की धारा १४३ (५) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रतिवेदन के लिए अतिरिक्त लेखा परीक्षा प्रक्रियाएँ निष्पोदित की हैं और एतदद्वारा अपने पिछले लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में निम्नानुसार संशोधन करते हैं :

पिछले लेखा परीक्षक प्रतिवेदन में शीर्षक ''अन्य कानूनी और नियामकीय आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन'' के अंतर्गत पैरा २ :

२. हमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से वित्तीय वर्ष २०१७-१८ के लिए कोई निर्देश नहीं मिला है, जो कंपनी अधिनियम, २०१३ की धारा १४३ की उपधारा (५) के संदर्भ में परीक्षण किए जाने वाले क्षेत्रों का संकेत देता हो.''

निम्नलिखित पैरा से प्रतिस्थापित किया जाएगा :

२. जैसा कि कंपनी अधिनियम की धारा १४३ की उपधारा (५) के संदर्भ में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार आवश्यक है, हम अनुलग्नक सी में, इन निर्देशों में निर्दिष्ट विषयों का विवरण दे रहे हैं.

इस संशोधन में यथा संलग्न अनुलग्नक सी को पिछले लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के भाग के रूप में शामिल किया जाएगा.

ए.टी. जैन एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
(फर्म पंजीकरण संख्या १०३८८६डब्ल्यु)

हस्ता/-
हितेन सर्वैया
साझेदार
सदस्यता संख्या : १६४०९४
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : २३ जुलाई, २०१८

ए.टी. जैन एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट

मुम्बई मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन दिनाँकित २३ जुलाई २०१८ का अनुलग्नक सी

कंपनी अधिनियम, २०१३ (अधिनियम) की धारा १४३ की उपधारा ५ के संदर्भ में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों में शामिल विषयों पर प्रतिवेदन.

१. क्या कंपनी के पास क्रमशः फ्रीहोल्ड और लीजहोल्ड भूमि के लिए स्पष्ट स्वत्व/पट्टा विलेख है? यदि नहीं, तो कृपया फ्रीहोल्ड और लीजहोल्ड भूमि का क्षेत्रफल बताएँ जिसके लिए स्वत्व/पट्टा विलेख उपलब्ध नहीं हैं.

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की हमारी परीक्षा के आधार पर, अचल संपत्ति के स्वामित्व विलेख कंपनी के नाम पर धारित किए गए हैं, सिवाय निम्नलिखित अचल संपत्तियों के मामलों के, जहाँ कंपनी को अनुमति और अधिकार प्राप्त हुआ है हालांकि सरकारी अभिलेखों में उत्परिवर्तन प्रविष्टि के रूप में स्वामित्व विलेख लंबित और प्रक्रियाधीन हैं :-

लीजहोल्ड/फ्रीहोल्ड भूमि	भूमि का क्षेत्रफल	टिप्पणियाँ
फ्रीहोल्ड भूमि	३५०,९११,५८ वर्ग मीटर	१) अनुदान के रूप में सरकारी प्राधिकरणों से प्राप्त ३५ भूमि पार्सल २) मैसर्स शहर गार्डन होटल प्राइवेट लिमिटेड से खरीदा गया १ भूमि पार्सल
लीजहोल्ड भूमि	७१६.०० वर्ग मीटर	रेलवे प्राधिकरणों से खरीदा गया २ भूमि पार्सल

२. क्या उधारियों/ऋण/ब्याज इत्यादि की माफी/अपलेखन के कोई मामले हैं तो इसका कारण और शामिल राशि.

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की हमारी परीक्षा के आधार पर, उधारियों/ऋण/ब्याज इत्यादि की माफी/अपलेखन के कोई मामले नहीं हैं.

३. क्या तृतीय पक्षों के पास पड़े स्टॉक और सरकारी या अन्य प्राधिकरणों से उपहार/अनुदान(अनुदानों) के रूप में प्राप्त परिसंपत्तियों के उचित अभिलेख बनाए रखे गए हैं.

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की हमारी परीक्षा के आधार पर, कंपनी ने सरकार या अन्य प्राधिकरणों से अनुदान के रूप में प्राप्त परिसंपत्तियों का उचित अभिलेख बनाए रखा है. चूंकि कंपनी ने

अपना परिचालन शुरू नहीं किया है, इसलिए तृतीय पक्षों के पास कोई स्टॉक नहीं पड़ा है.

ए.टी. जैन एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
(फर्म पंजीकरण संख्या १०३८८६डब्ल्यु)

हस्ता/-
हितेन सर्वैया
साझेदार
सदस्यता संख्या : १६४०९४
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : २३ जुलाई, २०१८

ए.टी. जैन एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
२१२, रीवा चेम्बर्स, ३१, न्यू मरीन लाइन्स, मुम्बई - ४०० ०२०.
फ़ोन : २२०३ ५१५१. २२०३ ५२५२. २२०३ ५१७०.२२०३ ५१९०. २२०८ ३८२० ई-मेल : accounts@atjain.net

२० अगस्त, २०१८

सेवा में
प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखा परीक्षा और पदेन सदस्य का कार्यालय,
ऑडिट बोर्ड - I, ६वां तल, आरटीआई भवन,
बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई ४०००५१.

विषय : वर्ष २०१७-१८ के लिए मुंबई मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड के खाता लेखा परीक्षा पर जारी पीओएम -१ का उत्तर.

महोदय/महोदया,

हमें आपके विभाग द्वारा जारी पीओएम-१ मिला है, जिसमें कहा गया है कि सांविधिक लेखा परीक्षक ने कंपनी अधिनियम, २०१३ की धारा १४३ (५) के प्रावधानों के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखांकन परीक्षक द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया है जिसे उनकी वेबसाइट पर अपलोड किया गया है और नियुक्ति पत्र दिनाँकित ४ अगस्त, २०१७ के अनुलग्नक एक (लेखा परीक्षक के लिए शर्तें) के माध्यम से लेखांकन परीक्षक को सूचित किया गया है.

पीओएम-१ में आपके विभाग द्वारा उठाए गए उपर्युक्त प्रश्न के उत्तर में, हम निम्नानुसार निवेदन करना चाहते हैं :

१. नियुक्ति पत्र दिनाँकित ४ अगस्त, २०१७ के अनुलग्नक एक (लेखा परीक्षक के लिए शर्तें) की धारा ८ प्रावधान करती है कि धारा १४३ (५) के अंतर्गत दिशानिर्देश www.saiindia.gov.in (सीए मनोनयन) पर उपलब्ध है. हालांकि, हमें उपर्युक्त वेबसाइट पते पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा कोई दिशानिर्देश नहीं मिला.

२. अब आपके विभाग के कर्मचारियों द्वारा इसे सूचित करने पर, हमने पाया कि दिशानिर्देश वेबसाइट care.cag.gov.in के 'विविध टैब' में उपलब्ध विकल्पों से डाउनलोड किए जाना है जिसे 'दिशानिर्देश २०१५-१६ से'' के रूप में नामित किया गया है.

३. इसके अलावा, हमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से ऐसा कोई भी ई-मेल या पत्र नहीं मिला है, जो कंपनी अधिनियम, २०१३ की धारा १४३ (५) के अंतर्गत स्पष्ट रूप से दिशानिर्देशों का वर्णन करते हैं.

इसलिए, उपर्युक्त कारणों से, हम कंपनी अधिनियम, २०१३ की धारा १४३ (५) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों से अवगत नहीं थे.

अब उपर्युक्त तथ्य का ज्ञान होने पर, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी 'लेखा परीक्षा ५६०-परवर्ती घटनाओं के मानकों' के अनुसार, हम स्वतंत्र लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन दिनाँकित ९ अगस्त, २०१८ (इस पत्र के साथ संलग्न) में संशोधन जारी कर रहे हैं, जिसमें कंपनी अधिनियम, २०१३ की धारा १४३ (५) के प्रावधानों के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी दिशानिर्देशों में शामिल मामलों पर प्रतिवेदन शामिल होगा.

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में यह संशोधन कंपनी की बोर्ड मीटिंग में रखा जाएगा और २३ जुलाई, २०१८ को हमारे द्वारा जारी पिछले स्वतंत्र लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन का भाग होगा. संशोधन और वित्तीय विवरणों के साथ साथ पिछला लेखा परीक्षा प्रतिवेदन शेयरधारकों द्वारा अपनाए जाने हेतु कंपनी की वार्षिक सामान्य बैठक में रखा जाएगा. हमें बोर्ड की बैठक और कंपनी की वार्षिक सामान्य बैठक में लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में यह संशोधन रखने का कंपनी से आश्वासन पत्र देखें पत्र दिनाँकित १३ अगस्त, २०१८ मिला है. आपसे अनुग्रह करने का अनुरोध किया जाता है.

संलग्न पत्र :

अनुलग्नक सी सहित स्वतंत्र लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन में संशोधन दिनांकित ९ अगस्त, २०१८

भवदीय

हस्ता/-

(चार्टर्ड एकाउंटेंट)

कार्यालय : ४१४, हबटाउन सोलारिस, एन.एस. फडके मार्ग, पूर्व पश्चिम फ्लाईओवर के निकट, अंधेरी (पूर्व), मुंबई - ४०० ०६९ पर भी.
फोन : ०२२-६७३६ २०००

ए.टी. जैन एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
२१२, रीवा चेम्बर्स, ३१, न्यू मरीन लाइन्स, मुम्बई - ४०० ०२०.
फ़ोन : २२०३ ५१५१. २२०३ ५२५२. २२०३ ५१७०.२२०३ ५१९०. २२०८ ३८२० ई-मेल : accounts@atjain.net

२० अगस्त, २०१८

सेवा में
प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखा परीक्षा और पदेन सदस्य का कार्यालय,
ऑडिट बोर्ड - I, ६वां तल, आरटीआई भवन,
बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई ४०००५१.

विषय : वर्ष २०१७-१८ के लिए मुंबई मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड के खाता लेखा परीक्षा पर जारी पीओएम -१ का उत्तर.

महोदय/महोदया,

हमें आपके विभाग द्वारा जारी किया गया पीओएम-३ मिला है, जिसमें कहा गया है कि कंपनी के प्रबंध निदेशक देखें उनका कार्यालय नोट ०८/१२/२०१७ ने ४४५.८३ करोड़ रुपये राशि की महत्वपूर्ण तिथि के लिए विलंबित क्षति खारिज करने की मँजूरी दी थी और सांविधिक लेखा परीक्षक स्वतंत्र लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन घ्कंपनी अधिनियम २०१३ की धारा १४३ (५) के अंतर्गत प्रतिवेदन - भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी दिशा-निर्देशच् के अपने अनुलग्नक सी में इसकी सूचना देने में असफल रहे.

पीओएम-१ में आपके विभाग द्वारा उठाए गए उपर्युक्त प्रश्न के उत्तर में, हम निम्नानुसार निवेदन करना चाहते हैं :

कंपनी अधिनियम, २०१३ की धारा १४३ (५) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी दिशा-निर्देश निम्नानुसार सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा प्रतिवेदन की माँग करता है :

क्या उधारियों/ऋण/ब्याज इत्यादि की माफी/अपलेखन के मामले हैं, यदि हाँ, उनका कारण और शामिल राशि.

उपर्युक्त दिशानिर्देशों के अनुसार, कंपनी द्वारा उधारी/ऋण/ब्याज इत्यादि का कोई भी माफी या अपलेखन सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया जाना चाहिए. वर्तमान मामले में, ठेकेदार द्वारा महत्वपूर्ण तिथियों की गैर-पूर्ति के विलंबित क्षति के लिए जुर्माना देयता के प्रतिलखन का मामला होगा, इसलिए हम नम्रता से कहते हैं कि यह उधारी/ऋण/ब्याज बट्टे खाते में डालने माफी का मामला नहीं है.

उपर्युक्त के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, हम पुन: निवेदन करते हैं कि पीओएम-३ में उल्लेखित कार्यालय नोट दिनाँकित ०८/१२/२०१७ मुख्य तिथि के लिए विलंबित क्षति की माफी के लिए नहीं है, बल्कि यह ठेकेदार के समय के विस्तार (ईओटी) के दावे को अंतिम रूप देने तक बाद की तिथि को विलंबित क्षति के उदग्रहण के स्थगन के लिए है. (देखें कार्यालय नोट दिनाँकित ०८/१२/२०१७)

इसलिए, उपर्युक्त कारणों से, हम मानते हैं कि उपर्युक्त मामले के लिए १४३ (५) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अंतर्गत किसी प्रतिवेदन की आवश्यकता नहीं है.

भवदीय

हस्ता/-

(चार्टर्ड एकाउंटेंट)

कार्यालय : ४१४, हबटाउन सोलारिस, एन.एस. फडके मार्ग, पूर्व पश्चिम फ्लाईओवर के निकट, अंधेरी (पूर्व), मुंबई - ४०० ०६९ पर भी.
फोन : ०२२-६७३६ २०००

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

तुलन-पत्र, दिनांक ३१ मार्च, २०१८ को
(सभी राशियाँ 'लाख' में, जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न हो)

विवरण	टिप्पणी	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017	01 अप्रैल 2016
ए. आस्तियाँ				
1. गैर-मौजूदा आस्तियाँ				
ए) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	2	119,440.97	105,945.11	82,547.30
बी) पूँजी कार्यरत	3	339,217.71	86,360.02	9,013.20
सी) अमूर्त आस्तियाँ	4	188,885.50	167,805.87	139,774.28
डी) वित्तीय आस्तियाँ				
(i) ऋण	5	558.98	81.60	-
ई) अन्य गैर-मौजूदा आस्तियाँ	6	165,908.01	93,599.56	-
कुल गैर-मौजूदा आस्तियाँ		**814,011.17**	**453,792.16**	**231,334.78**
2. मौजूदा आस्तियाँ				
ए) वित्तीय आस्तियाँ				
(i) नकद एवं नकद समकक्ष	7	75,442.88	49,895.59	16,919.82
(ii) ऋण	5	30.60	1.36	-
बी) अन्य मौजूदा आस्तियाँ	6	466.50	267.78	7,830.28
सी) मौजूदा कर आस्तियाँ	20	315.40	788.22	-
कुल मौजूदा आस्तियाँ		**76,255.38**	**50,952.95**	**24,750.10**
कुल आस्तियाँ		**890,266.55**	**504,745.11**	**256,084.88**
बी. इक्विटी एवं दायित्व				
इक्विटी				
ए) इक्विटी अंश पूँजी	8	131,520.00	51,520.00	7,320.00
बी) अन्य इक्विटी	9	(37,919.78)	(14,615.49)	(28,772.06)
कुल इक्विटी		**93,600.22**	**36,904.51**	**(21,452.06)**
दायित्व				
1. गैर मौजूदा दायित्व				
ए) वित्तीय दायित्व				
(i) उधार	10	355,973.89	85,418.81	10,886.83
बी) आस्थगित कर दायित्व (शुद्ध)	20	26,092.54	24,106.50	18,163.53
सी) अन्य गैर-मौजूदा दायित्व	13	301,249.47	252,783.70	201,090.62
कुल गैर-मौजूदा दायित्व		**683,315.90**	**362,309.01**	**230,140.98**
2. मौजूदा दायित्व				
ए) वित्तीय दायित्व				
(i) उधार	10	833.54	6,871.39	12,884.45
(ii) अन्य वित्तीय दायित्व	12	45,781.84	38,980.09	164.60
बी) अन्य मौजूदा दायित्व	13	65,788.59	59,001.33	34,270.20
सी) प्रावधान	11	906.64	154.82	25.07
डी) मौजूदा कर दायित्व (शुद्ध)	20	39.82	523.96	51.64
कुल मौजूदा दायित्व		**113,350.43**	**105,531.59**	**47,395.96**
कुल दायित्व		**796,666.33**	**467,840.60**	**277,536.94**
कुल इक्विटी एवं दायित्व		**890,266.55**	**504,745.11**	**256,084.88**

महत्वपूर्ण लेखा नीति 1

संलग्न टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न हिस्सा बनाती हैं. 2-29

निदेशक मंडल हेतु एवं उसकी ओर से

हमारे संलग्न प्रतिवेदन के संदर्भ में.
हेतु - ए. टी. जैन एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन :103886W

अधोहस्ताक्षरकर्ता
हितेन सरवैया
भागीदार
सदस्यता सं. : 164094

अधोहस्ताक्षरकर्ता
अश्विनी भिड़े
प्रबंध निदेशक

अधोहस्ताक्षरकर्ता
अबोध खंडेलवाल
निदेशक (वित्त)

अधोहस्ताक्षरकर्ता
ऋतु देब
कंपनी सेक्रेटरी

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 23 जुलाई, 2018

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लाभ एवं हानि का विवरण
(सभी राशियाँ 'लाख' में हैं, जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न हो)

विवरण	टिप्पणी	2017-18	2016-17
परिचालनों से आय	14	-	-
अन्य आमदनी	15	2,216.98	1,691.20
कुल आमदनी		**2,216.98**	**1,691.20**
व्यय			
कर्मचारी लाभ व्यय	16	1,172.11	475.55
वित्तीय लागतें	17	193.30	64.69
ह्रास एवं ऋणमुक्ति व्यय	2 | 4	94.22	120.93
अन्य व्यय	18	1,026.87	404.51
कुल व्यय		**2,486.50**	**1,065.68**
असाधारण वस्तुओं और कर से पहले लाभ / (हानि)		**(269.52)**	**625.52**
असाधारण वस्तुएँ		-	-
वर्ष के लिए कर से पहले लाभ / (हानि)		**(269.52)**	**625.52**
कर व्यय			
मौजूदा कर	20	1,067.09	523.96
आस्थगित कर	20	1,995.58	5,943.66
पिछले वर्षों के लिए कर समायोजन		(51.14)	-
कुल कर व्यय		**3,011.53**	**6,467.62**
वर्ष के लिए लाभ / (हानि)		**(3,281.05)**	**(5,842.10)**
अन्य व्यापक आमदनी			
ए) वे मदें, जिन्हें लाभ एवं हानि के लिए पुन: वर्गीकृत नहीं किया जाएगा.			
i) परिभाषित लाभ योजनाओं पर पुनर्मापन प्राप्ति/(हानि)		(32.77)	(2.02)
ii) उपरोक्त मद क्र. (I) से संबंधित आयकर		9.54	0.68
बी) वे मदें जिन्हें लाभ एवं हानि के लिए पुन: वर्गीकृत किया जाएगा.		-	-
अन्य व्यापक आमदनी, कर से शुद्ध		**(23.23)**	**(1.34)**
वर्ष के लिए कुल व्यापक आमदनी		**(3,304.28)**	**(5,843.44)**
प्रति अंश आय - अंकित मूल्य रु. 100 प्रति अंश	19		
(1) मूल (रु. में)		(3.70)	(23.28)
(2) तनुकृत (रु. में)		(3.70)	(23.28)

महत्वपूर्ण लेखा नीति 1

संलग्न टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न हिस्सा बनाती हैं. 2-29

हमारे संलग्न प्रतिवेदन के संदर्भ में.

हेतु - ए. टी. जैन एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन :103886W

निदेशक मंडल हेतु एवं उसकी ओर से

अधोहस्ताक्षरकर्ता	अधोहस्ताक्षरकर्ता	अधोहस्ताक्षरकर्ता
अश्विनी भिड़े	**अबोध खंडेलवाल**	**ऋतु देब**
प्रबंध निदेशक	निदेशक (वित्त)	कंपनी सेक्रेटरी

अधोहस्ताक्षरकर्ता
हितेन सरवैया
भागीदार
सदस्यता सं. : 164094

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 23 जुलाई, 2018

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

३१ मार्च २०१८ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए नकदी प्रवाहों का विवरण
(सभी राशियाँ रु. लाख में, जब तक अन्यथा व्यक्त न हो)

विवरण	टिप्पणी	2017-18	2016-17
ए. परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
लाभ/(हानि) कर पूर्व	i	**(269.52)**	**625.52**
निम्नांकित हेतु समायोजन :			
जोड़ें :			
ह्रास एवं ऋण परिशोधन व्यय		94.22	120.93
वित्त लागतें (वित्तीय लिखतों में उचित मूल्य परिवर्तनों सहित)		193.30	64.69
आईएनडी एएस के अनुसार आस्थगित किराए का ऋण परिशोधन		15.00	2.27
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के विक्रय पर हानि		0.07	-
	ii	**302.59**	**187.89**
घटाएँ :			
ब्याज आय (वित्तीय लिखतों में उचित मूल्य परिवर्तनों सहित)		(1,513.41)	(1,443.54)
गैर-मौद्रिक शासकीय अनुदान		(703.64)	(247.67)
परिभाषित लाभ योजनाओं पर पुनर्मापन हानियाँ		(39.62)	(3.61)
	iii	**(2,256.67)**	**(1,694.82)**
परिचालन आस्तियों एवं दायित्वों में परिवर्तन से पहले परिचालन लाभ	(i+ii+iii)	**(2,223.60)**	**(881.41)**
निम्नांकित हेतु समायोजन :			
अन्य गैर-मौजूदा आस्तियों में कमी/(वृद्धि)		(72,517.10)	(93,613.43)
लघुकालीन ऋणों एवं अग्रिमों में कमी/(वृद्धि)		(29.24)	(1.36)
अन्य वर्तमान आस्तियों में कमी/(वृद्धि)		(261.52)	7,554.11
प्रावधानों में वृद्धि/(कमी)		751.83	129.75
अन्य वर्तमान वित्तीय दायित्वों में वृद्धि/(कमी)		6,801.75	38,815.49
अन्य वर्तमान दायित्वों में वृद्धि/(कमी)		(3,500.81)	4,497.09
		(68,755.09)	(42,618.35)
परिचालनों से अर्जित नकदी		**(70,978.69)**	**(43,499.76)**
घटाएँ :			
प्रदत्त आयकर (वापसी छोड़कर)		(1,032.55)	(817.20)
परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह	**A**	**(72,011.14)**	**(44,316.96)**
बी. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण का क्रय		(5,766.06)	(1,342.68)
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण का विक्रय । निपटान		0.58	-
प्रगतिशील कार्य पूँजी में (वृद्धि) । कमी		(239,437.39)	(62,797.30)
अन्य अमूर्त आस्तियों का क्रय		(90.50)	(2,445.12)
ऋणों का पुनर्भुगतान । (संवितरण)		(477.46)	(81.60)
परिशोधित लागत पर मापित वित्तीय आस्तियों पर प्राप्त ब्याज		1,496.39	1,440.86
निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह	**B**	**(244,274.44)**	**(65,225.84)**
सी. फाइनेंसिंग गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
गैर-मौजूदा उधारों का संवितरण । (पुनर्भुगतान)		287,870.73	84,331.62
कार्यशील पूँजी ऋणों/ मौजूदा उधारों का संवितरण । (पुनर्भुगतान)		(6,037.86)	(6,013.05)
उधारों का कुल संवितरण । (पुनर्भुगतान)		281,832.87	78,318.57
प्रदत्त ब्याज		-	-
अंशों के ..... से प्राप्तियाँ		80,000.00	44,200.00
अंश आवेदन पर प्राप्त प्राप्तियाँ		(20,000.00)	20,000.00
वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह	**C**	**341,832.87**	**142,518.57**
नकदी एवं नकदी समकक्षों में शुद्ध वृद्धि	**A+B+C**	**25,547.29**	**32,975.77**
वित्तीय वर्ष के प्रारंभ पर नकदी एवं नकदी समकक्ष		49,895.59	16,919.82
वित्तीय वर्ष के समापन पर नकदी एवं नकदी समकक्ष		75,442.88	49,895.59

उपरोक्त नकदी प्रवाह विवरण कंपनी (लेखा) नियम, २०१५ के अंतर्गत अधिसूचित किए अनुसार नकदी प्रवाह के विवरण पर आईएनडीएएस-७ में निर्धारित किए अनुसार 'अप्रत्यक्ष पद्धति' के अंतर्गत तैयार किया गया है.

नकदी प्रवाहों के उपरोक्त विवरण को संलग्न टिप्पणियों के साथ संयुक्त रूप से पढ़ा जाना चाहिए.

हमारे संलग्न प्रतिवेदन के अनुसार
हेतु - ए. टी. जैन एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन :103886W

अधोहस्ताक्षरकर्ता
हितेन सरवैया
भागीदार
सदस्यता सं. : 164094

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 23 जुलाई, 2018

निदेशक मंडल हेतु एवं उसकी ओर से

अधोहस्ताक्षरकर्ता	अधोहस्ताक्षरकर्ता	अधोहस्ताक्षरकर्ता
अश्विनी भिड़े	**अबोध खंडेलवाल**	**ऋतु देव**
प्रबंध निदेशक	निदेशक (वित्त)	कंपनी सेक्रेटरी

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

३१ मार्च २०१८ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए नकदी प्रवाहों का विवरण

(सभी राशियाँ रु. लाख में, जब तक अन्यथा व्यक्त न हो)

अग्रांकित पर नकदी एवं नकदी समकक्षों के अवयय		३१ मार्च, २०१८	३१ मार्च, २०१७
हाथ में नकदी		-	-
बैंकों में शेष राशि		15,456.54	333.38
बैंकों में स्थाई जमा, जिनकी मूल परिपक्वता तीन माह या उससे कम हो		59,986.34	49,562.21
वर्ष के समापन पर नकदी एवं नकदी समकक्ष		**75,442.88**	**49,895.59**

अग्रांकित पर नकदी एवं बैंक शेष राशि का मिलान विवरण		३१ मार्च, २०१८	३१ मार्च, २०१७
उपरोक्तानुसार वर्ष के समापन पर नकदी एवं नकदी समकक्ष		75,442.88	49,895.59
तुलन पत्र के अनुसार नकदी एवं बैंक शेष राशि		**75,442.88**	**49,895.59**

आईएनडी एएस ७ द्वारा आवश्यक अनुसार प्रकटीकरण
वित्तीय गतिविधियों से दायित्वों का मिलान

३१ मार्च, २०१८		प्रारंभिक शेष राशि	नकदी प्रवाह	गैर नकदी परिवर्तन	समापन शेष राशि
दीर्घकालीन असुरक्षित उधारियाँ		94,465.80	291,823.73	(17,315.66)	368,973.88
लघुकालीन असुरक्षित उधारियाँ		7,005.18	(3,142.66)	-	3,862.52
वित्तीय गतिविधियों से कुल दायित्व		**101,470.99**	**288,681.07**	**(17,315.66)**	**372,836.40**

३१ मार्च, २०१७		प्रारंभिक शेष राशि	नकदी प्रवाह	गैर नकदी परिवर्तन	समापन शेष राशि
दीर्घकालीन असुरक्षित उधारियाँ		10,886.83	93,378.63	(9,799.65)	94,465.80
लघुकालीन असुरक्षित उधारियाँ		12,884.45	(5,879.26)	-	7,005.18
वित्तीय गतिविधियों से कुल दायित्व		**23,771.27**	**87,499.36**	**(9,799.65)**	**101,470.99**

टिप्पणियाँ जो वित्तीय विवरणों का भाग हैं

कॉर्पोरेट जानकारी

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन कंपनी लिमिटेड ('कंपनी या 'एमएमआरसीएल') जिसका सीआईएन : यू६०१००एमएच२००८एसजीसी१८१७७० है, का भारत में लागू कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत समामेलन किया गया था. यह कंपनी भारत सरकार ('जीओआई') और महाराष्ट्र सरकार ('जीओएम') के बीच ५०:५० का संयुक्त उद्यम है. कंपनी का मुख्य उद्देश्य वर्तमान में उपनगरीय रेल प्रणाली से नहीं जुड़े क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए रेल आधारित द्रुत जन पारगमन सुविधा उपलब्ध कराना और मेट्रो प्रणाली को ५०० मीटर से १ कि.मी. की पहुँच के भीतर लाना है.

कंपनी का मुख्यालय मुम्बई, भारत में है. इसका पंजीकृत कार्यालय मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी (एमएमआरडीए), बिल्डिंग, प्लाट नं. १४-१५, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा पूर्व, मुंबई - ४०००५१, महाराष्ट्र, भारत में स्थित है.

इसका संयुक्त उद्यम के भागीदारों द्वारा समान रूप से नामांकित एक स्वतंत्र बोर्ड है जिसमें एक गैर-कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्णकालिक प्रबंध निदेशक है. कंपनी सरकार का स्पेशल पर्पज व्हिकल ('एसपीवी') है और तदनुसार कंपनी अधिनियम, २०१३ की धारा १३९(५) और १३९ (७) के प्रावधान लागू होते हैं.

३१ मार्च, २०१८ को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण २३ जुलाई २०१८ को निदेशक मंडल द्वारा जारी करने के लिए अधिकृत और अनुमोदित किया किया

१. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

१.१ वित्तीय विवरण की प्रस्तुति का आधार

कंपनी के इन वित्तीय विवरणों को यथा संशोधित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, २०१५ के नियम ३ के साथ पठित कंपनी अधिनियम, २०१३ ('अधिनियम') की धारा १३३ और अधिनियम के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा यथा अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानक ('इंड एएस') के अनुसार तैयार किया गया है और के संबंध में सभी सामग्रियों में अनुपालन करते हैं.

३१ मार्च, २०१८ को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण कंपनी के पहले इंड एस वित्तीय विवरण हैं. ३१ मार्च, २०१७ तक और सहित सभी समयावधियों के लिए, कंपनी ने भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुसार अपने वित्तीय विवरण तैयार किए थे, जिसमें कंपनी (लेखा) नियम, २०१४ और कंपनी अधिनियम, २०१३ (सामूहिक रूप से 'पिछले GP' के रूप में संदर्भित) के नियम ७ के साथ पठित कंपनी अधिनियम २०१३ की धारा १३३ के अंतर्गत निर्धारित लेखांकन मानक शामिल हैं. कंपनी ने संक्रमण की तिथि, अर्थात, १ अप्रैल, २०१६ को अपना प्रारंभिक इंड एएस बैलेंस शीट तैयार करने में इंड एएस १०१ 'भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस १०१ का पहली बार अंगीकरण) के प्रावधानों का पालन किया था. टिप्पणी सं. २९, १ अप्रैल, २०१६ को, और पिछले वर्ष के लिए पिछले जीएएपी वित्तीय विवरण और ३१ मार्च, २०१७ को और समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों को दोहराते हुए इंड एएस १०१ के अनुसार कार्पोरेशन द्वारा किए गए सिद्धांत समायोजनों की व्याख्या करता है, जहां भी

प्रारंभिक बैलेंस शीट में प्रयुक्त इंड एएस लेखांकन नीतियां ३१ मार्च, २०१६ को लागू इसकी पिछली जीएएपी लेखांकन नीतियों से भिन्न थीं और तदनुसार इंड एएस के अनुसार प्रारंभिक शेष को दोहराने के लिए समायोजन किए गए थे. इंड एएस में संक्रमण की तिथि से पहले घटनाओं और लेनदेन से उत्पन्न होने वाले परिणामी समायोजनों को इंड एएस १०१ द्वारा यथा आवश्यक १ अप्रैल, २०१६ को बनाए रखे गए अर्जनों के माध्यम से सीधे अभिज्ञात प्रदान की गई थी.

१.२ मूल्यांकन का आधार

- वित्तीय विवरणों को लेखांकन की एक्रुअल और चल रही संस्था आधार पर ऐतिहासिक लागत परंपरा के अंतर्गत तैयार किया गया है सिवाय :

- परियोजना के लिए भूमि (अस्थायी भूमि) तक पहुँच के लिए अनुमतियों का उचित मूल्य पर मूल्यांकन किया गया है

- सरकार से अनुदान के रूप में प्राप्त भूमि (स्थायी भूमि) का उचित मूल्य पर मूल्यांकन किया गया है.

१.३ अनुमानों और प्रबंधन के निर्णयों का उपयोग

इंड एएस के अनुरूप वित्तीय विवरणों की तैयारी प्रबंधन से निर्णय, अनुमान और पूर्वानुमान की मांग करती है जो आगम और खर्च की सूचित राशियों, परिसंपत्तियों और दायित्वों और रिपोर्टिंग तिथि पर आकस्मिक दायित्वों के प्रकटीकरण को प्रभावित करते हैं. प्रबंधन का मानना होता है कि वित्तीय विवरणों की तैयारी में लगाए गए अनुमान बुद्धिमत्तापूर्ण और औचित्यपूर्ण हैं. हालांकि, इन पूर्वानुमानों के बारे में अनिश्चितता के ऐसे परिणाम हो सकते हैं जिसके लिए भविष्य की अवधियों में प्रभावित परिसंपत्ति या दायित्व की ले जाई जाने वाली राशि के लिए महत्वपूर्ण समायोजन की आवश्यकता होती है.

प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर अनुमानों और अंतर्निहित पूर्वानुमानों की समीक्षा की जाती है. लेखांकन अनुमानों और पूर्वानुमानों में किसी भी संशोधन को भविष्यलक्षी प्रभाव से अभिज्ञात किया जाता है अर्थात उस अवधि में अभिज्ञात किया जाता है जिसमें अनुमान संशोधित किया जाता है और भविष्य की अवधि प्रभावित होती है.

१.४ जारी किए गए लेकिन अभी तक प्रभावी नहीं हालिया लेखांकन घोषणाएँ :

मार्च २०१८ में, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने, (i) इंड एएस १२ 'आयकर', इंड एएस २१ 'विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव', इंड एक २८ 'सहयोगी और संयुक्त उपक्रमों में निवेश', इंड एएस ४० 'निवेश संपत्ति' और (ii) इंड एएस ११५ 'ग्राहकों के साथ अनुबंध' में संशोधन अधिसूचित करते हुए कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) (संशोधन) नियम, २०१७ जारी किया. ये संशोधन क्रमशः में अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक बोर्ड (आईएएसबी) द्वारा किए गए हालिया संशोधनों के अनुसार हैं. ये संशोधन ०१ अप्रैल, २०१८ के बाद से शुरू होने वाली लेखांकन अवधि से कंपनी पर लागू होते हैं. कंपनी, कंपनी के वित्तीय विवरणों पर इन घोषणाओं के प्रभाव का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया में है.

१.५ चालू/गैर-चालू वर्गीकरण

कंपनी इंड एएस १ वित्तीय विवरणों का प्रस्तुति द्वारा यथा आवश्यक चालू/गैर-चालू वर्गीकरण के आधार पर बैलेंस शीट में परिसंपत्तियों और दायित्वों को प्रस्तुत करती है. स्थगित कर परिसंपत्तियों और दायित्वों को गैर-चालू परिसंपत्तियों और दायित्वों के रूप में वर्गीकृत किया गया है.

सार्वजनिक आधारभूत संरचना परियोजनाओं के निर्माण से संबंधित परिचालनों के संबंध में कंपनी का सामान्य प्रचालन चक्र परियोजना के आकार, विकास के प्रकार, परियोजना जटिलताओं और संबंधित अनुमोदनों के आधार पर परियोजना से परियोजना में भिन्न हो सकता है. सभी पूर्ण परियोजनाओं के लिए प्रचालन चक्र और प्रचालन व्यवसाय बारह माह की अवधि पर आधारित है. परिसंपत्तियों और दायित्वों को उनके संबंधित प्रचालन चक्र के आधार पर चालू और गैर-चालू में वर्गीकृत किया गया है.

१.६ कार्यात्मक और प्रस्तुति मुद्रा

ये वित्तीय विवरण भारतीय रुपए (रू.) में प्रस्तुत किए गए हैं, जो कि कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा है और सभी मूल्य निकटतम रू. लाख तक हैं, सिवाय जब अन्यथा इंगित किया गया हो.

१.७ संपत्ति, संयंत्र और उपकरण-

पहचान और प्रारंभिक मूल्यांकन

● संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) अधिग्रहण/निर्माण की कीमत ऋण संचित मूल्यह्रास/परिशोधन और हानि, यदि कोई है, पर वर्णित हैं. लागत में क्रय मूल्य और संपत्ति को उसके वर्तमान स्थान पर और उसके अभिप्रेत उपयोग के लिए उसकी कार्यशील स्थिति में लाने के लिए कोई भी आरोप्य/आवण्ट्य लागत शामिल है. लागत में प्रत्यक्ष लागत और अन्य संबंधित आकस्मिक खर्च भी शामिल हैं. परिसंपत्तियों के परीक्षण के दौरान अर्जित राजस्व परिसंपत्तियों की लागत के विरूद्ध समायोजित किया जाता है. लागत में संयंत्र और उपकरण का पुर्जा बदलने की लागत भी शामिल है. पीपीई, जो अपने अभिप्रेत उपयोग के लिए तैयार होने के लिए काफी समयावधि लेता है, के अधिग्रहण/निर्माण/विकास से संबंधित उधार लागत भी उस सीमा तक शामिल है जो ऐसी परिसंपत्तियों के अभिप्रेत उपयोग के लिए तैयार होने तक की अवधि से संबंधित होते हैं.

स्पेयर पार्ट्स, स्टैंड-बाय उपकरण और सर्विसिंग उपकरण को अभिज्ञात किया जाता है जब वे संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की परिभाषा पूरा करते हैं. उठाए गए अनुसार अन्य सभी मरम्मत और रखरखाव लागत को लाभ और हानि के विवरण में अभिज्ञात किया जाता है.

● बैलेंस शीट की तिथि को अभिप्रेत उपयोग के लिए तैयार नहीं संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को 'पूंजीगत कार्य-प्रगति पर है' के रूप में प्रकट किया जाता है.

● महाराष्ट्र सरकार से मुफ्त में प्राप्त स्थायी उपयोग के लिए भूमि का उचित मूल्य पर मूल्यांकन किया जाता है

● अधिग्रहण और कब्जे की प्रक्रिया पूरा करने के बाद भूमि को पूंजीकृत किया गया है.

पश्चादगामी मूल्यांकन (मूल्यह्रास और उपयोगी जीवन)

● मूल्यह्रास का कंपनी अधिनियम, २०१३ की अनुसूची दो के भाग सी के अंतर्गत यथा निर्धारित उनके अनुमानित उपयोगी जीवन पर उनकी लागत, उनका निवल अवशिष्ट मूल्य आवंटित करने के लिए सीधी रेखा विधि पर प्रावधान किया जाता है.

● प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के अवशिष्ट मूल्य, उपयोगी जीवन और मूल्यह्रास की विधि की समीक्षा की जाती है और उपयुक्त होने पर भविष्यलक्षी प्रभाव से समायोजित किया जाता है.

● उपयोग की अवधि और अन्य शर्तों के आधार पर पट्टाधृति भूमि पर सुधार का परिशोधन किया जाता है.

● ५००/- रुपए से कम या उसके बराबर की अलग-अलग परिसंपत्तियों का क्रय के वर्ष में पूरी तरह से मूल्य घटाया/परिशोधन किया जाता है.

● यथानुपात आधार पर मूल्यह्रास की गणना की जाती है.

● विभिन्न उपयोगी जीवन वाले महत्वपूर्ण घटकों का अलग से लेखांकन किया जाता है और तदनुसार मूल्य घटाया जाता है.

अनभिज्ञान

● लाभ और हानि के विवरण में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की सेवानिवृत्ति या निपटान पर उत्पन्न होने वाले लाभ या हानि को अभिज्ञात किया जाता है.

१.८ परिशोधन परिसंपत्तियाँ

अभिज्ञान और प्रारंभिक मूल्यांकन

● अलग से अधिग्रहित परिशोधन परिसंपत्तियों का प्रारंभ में लागत पर मूल्यांकन किया जाता है. इसके बाद, परिशोधन परिसंपत्तियों को लागत ऋण कोई संचित परिशोधन और संचित क्षति हानि, यदि कोई हो, पर ले जाया जाता है.

● लागत में अधिग्रहण मूल्य, विकास लागत और परिसंपत्ति को उसके अभिप्रेत उपयोग के लिए उसकी कार्यशील स्थिति में लाने की कोई भी आरोप्य/आवंट्य आकस्मिक लागत शामिल है.

● सरकार/अन्य एजेंसियों से मुफ्त में प्राप्त भूमि के अस्थायी उपयोग के लिए अनुमति का परिशोधन परिसंपत्ति - अनुमतियों के रूप में लेखांकित किया जाता है. इन अधिकारों की गणना पट्टे की अवधि के दौरान देय पारंपरिक किराया के वर्तमान मूल्यों पर की जाती है

पश्चादगामी मूल्यांकन (परिशोधन)

निश्चित उपयोगी जीवन वाली सभी परिशोधन परिसंपत्तियों का अनुमानित उपयोगी जीवन पर सीधी रेखा के आधार पर परिशोधन किया जाता है. सॉफ़्टवेयर जो संबंधित हार्डवेयर का अभिन्न अंग नहीं है, समेत परिशोधन परिसंपत्तियों का उपयोग करने के कानूनी अधिकार की अवधि या पांच वर्ष, जो भी कम हो, के दौरान सीधी रेखा विधि के आधार पर परिशोधन किया जाता है. अनिश्चित जीवन वाली परिशोधन परिसंपत्तियों का परिशोधन नहीं किया जाता है, लेकिन वार्षिक रूप से और जब भी क्षति के संकेतक होते हैं, क्षति के लिए परीक्षण किया जाता है.

१.९ प्रगति पर पूँजीगत कार्य

प्रगति पर पूँजीगत कार्य को लागत ऋण क्षति हानियों, यदि कोई हो, पर निर्दिष्ट किया जाता है. लागत में कंपनी की परियोजनाओं के कार्यान्वयन की अवधि के दौरान किए गए निर्माण से संबंधित सभी प्रत्यक्ष और आरोप्य अप्रत्यक्ष व्यय (अर्हकारी पीपीई के निर्माण या अधिग्रहण के लिए उधार लिए गए धन से संबंधित वित्तपोषण लागत सहित) शामिल है. परिभाषित परियोजना चरण पूरा नहीं हो जाने तक ऐसा व्यय प्रगति पर पूँजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) के रूप में रखा जाता है जिसके बाद उसे पहचान योग्य पीपीई में स्थानांतरित/आवंटित कर दिया जाता है. पूँजीकरण से पहले ऐसी पूँजी परियोजना से अर्जित राजस्व प्रगति पर पूँजीगत कार्य के विरूद्ध समायोजित किया जाता है.

निर्माण के दौरान ब्याज का आवंटन

वर्ष के दौरान अधिकृत अर्हकारी परिसंपत्तियों के संबंध में निर्माण अवधि के दौरान ब्याज (आईडीसी) उस अनुपात में आवंटित किया जाता है जिस अनुपात में अधिकृत परिसंपत्तियां कमीशनिंग के माह के अंत में प्रगति पर अर्हकारी पूँजीगत कार्य वहन करती हैं. अन्य मामलों में, आईडीसी को अंतिम खंड के पूंजीकरण की तिथि के आधार पर आवंटित किया जाता है.

१.१०. गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

यह मूल्यांकन करने के लिए प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर परिसंपत्तियों की ले जाई जाने वाली राशि की समीक्षा की जाती है कि क्या आंतरिक/बाहरी कारकों के आधार पर क्षति का कोई संकेत है. इस तरह के मूल्यांकन पर क्षति हानि अभिज्ञात की जाती है जहाँ भी परिसंपत्ति की ले जाई जाने वाली राशि उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक होती है. परिसंपत्तियों की वसूली योग्य राशि शुद्ध विक्रय मूल्य या उपयोग मूल्य, जो भी अधिक हो, होती है. उपयोग मूल्य का आकलन करते समय अनुमानित भावी रोकड़ प्रवाह पर पूंजी की भारित औसत लागत का उपयोग करके वर्तमान मूल्य तक छूट दी जाती है.

ख्याति, अनिश्चितकालीन उपयोगी जीवन रखने वाली परिशोधन परिसंपत्तियों और वर्तमान में कंपनी द्वारा उपयोग में नहीं परिशोधन संपत्तियों का वार्षिक रूप से क्षति के लिए और जब भी क्षति के संकेतक होते हैं, परीक्षण किया जाता है.

परिस्थितियों में बदलावों के आधार पर और इस हद तक पहले अभिज्ञात क्षति हानि को आगे प्रदान किया या उलट दिया जाता है कि यह उस ले जाई जाने वाली राशि से अधिक न हो जिसे निर्धारित किया गया होता, यदि कोई पहले किसी क्षति हानि को अभिज्ञात नहीं किया गया होता. ख्याति की क्षति का व्युत्क्रमण अभिज्ञात नहीं है.

१.११. विदेशी मुद्रा

प्रारंभिक अभिज्ञान विदेशी मुद्रा लेनदेन विदेशी मुद्रा राशि, लेनदेन की तिथि को कार्यात्मक मुद्रा और विदेशी मुद्रा के बीच विनिमय दर पर लागू करके कार्यात्मक मुद्रा (भारतीय रुपया) में अभिलेखित किया जाता है.

परिवर्तन

विदेशी मुद्रा में अंकित वर्ष के अंत में बकाया सभी मौद्रिक मदों को रिपोर्टिंग तिथि की विनिमय दर पर भारतीय रुपयों में परिवर्तित कर दिया जाता है. गैर-मौद्रिक मदों, जिनका विदेशी मुद्रा में अंकित ऐतिहासिक लागत की मदों में मूल्यांकन किया जाता है, को लेनदेन की तिथि पर विनिमय दर का उपयोग करके सूचित किया जाता है और गैर-मौद्रिक मदों जिन्हें उचित मूल्य या विदेशी मुद्रा में अंकित अन्य ऐसे ही मूल्यांकन पर ले जाया जाता है को उन विनिमय दरों का उपयोग करके सूचित किया जाता है जो मूल्यों को निर्धारित किए जाने के समय विद्यमान थे.

विनिमय अंतर

ऐसे परिवर्तन पर और लेनदेन के निपटान पर उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतरों को पूंजीकृत किया जाता है जब तक परिसंपत्तियां अभिप्रेत के उपयोग के लिए तैयार नहीं होतीं और तत्पश्चात लाभ और हानि के विवरण में अभिज्ञात नहीं की जातीं.

१.१२. राजस्व अभिज्ञान

राजस्व उस सीमा तक अभिज्ञात किया जाता है जिस सीमा तक यह संभव होता है कि आर्थिक लाभ कंपनी की ओर प्रवाहित होगा और इस बात से निरपेक्ष कि कब भुगतान किया जा रहा है, राजस्व का विश्वसनीय रूप से मूल्यांकन किया जा सकेगा. संविदात्मक रूप से भुगतान की परिभाषित शर्तों को ध्यान में रखते हुए और करों और शुल्कों को अपवर्जित करते हुए राजस्व का प्राप्त या प्राप्य प्रतिफल के उचित मूल्य पर मूल्यांकन किया जाता है. कंपनी ने अंतिम रूप से तय किया कि वह अपने सभी राजस्व व्यवस्थाओं में प्रिंसिपल या एजेंट के रूप में कार्य कर रही है. राजस्व अभिज्ञात किए जाने से पहले नीचे वर्णित विशिष्ट अभिज्ञान मानदंडों को भी पूरा किया जाना चाहिए.

कंपनी की परियोजनाओं की न व्यय की गई निधियों (सिवाय पास थ्रू असिस्टेंस (पीटीए) - जेआईसीए ऋण में से) से किए गए निवेश पर ब्याज आय अभिज्ञात की जाती है जब वह प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) विधि का उपयोग करके उपार्जित होती है. वित्त आय लाभ और हानि के विवरण में अन्य आय में शामिल है.

राजस्व की मदें और चालू वित्त वर्ष में किए गए व्यय जो सीधे पूँजीगत परिसंपत्ति के निर्माण से संबंधित नहीं हैं, लाभ और हानि के विवरण में राजस्व व्यय के रूप में प्रभारित किए जाते हैं.

अन्य गैर-प्रचालन आय की प्राप्ति आधार पर सूचना दी जाती है (ब्याज आय को छोड़कर). स्क्रैप की बिक्री से आय को प्राप्ति आधार पर लेखांकित किया जाता है.

१.१३ उधारी लागत

अर्हकारी परिसंपत्ति के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन पर सीधे आरोप्य उधारी लागतों को उस समयावधि के दौरान पूंजीकृत किया जाता है जो परिसंपत्ति को उसके अभिप्रेत उपयोग या बिक्री के लिए पूरा और तैयार करने के लिए आवश्यक होती है.

अर्हकारी परिसंपत्तियाँ वे परिसंपत्तियाँ होती हैं जो अपने अभिप्रेत उपयोग या बिक्री के लिए तैयार होने के लिए आवश्यक रूप से काफी समय लेती हैं. विशिष्ट उधारियों के अस्थायी निवेश पर अर्हकारी परिसंपत्तियों पर उनका व्यय लंबित रखते हुए अर्जित निवेश आय की पूंजीकरण के लिए पात्र उधारी लागतों से कटौती की जाती है. अन्य उधारी लागतों को उस अवधि में व्यय किया जाता है जिसमें वे उठाई जाती हैं.

१.१४ उत्तर कर्मचारी लाभ

परिभाषित अंशदान योजनाएँ

भविष्य निधि और पेंशन फंड में अंशदान के रूप में सेवानिवृत्ति लाभ लाभ और हानि के विवरण पर प्रभारित किया जाता है. सेवानिवृत्ति लाभ और अर्जित अवकाश के प्रति कंपनी दायित्व को बीमांकिक रूप से निर्धारित और प्रदान किया जाता है.

परिभाषित लाभ योजनाएं

ग्रैच्युइटी परिभाषित लाभ योजना की प्रकृति में है.

ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान की गणना रिपोर्टिंग तिथि पर किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर की जाती है और लाभ और हानि के विवरण पर प्रभारित किया जाता है. प्रक्षेपित इकाई क्रेडिट विधि का उपयोग करके बीमांकिक मूल्यांकन की गणना की जाती है.

पुनर्मूल्यांकन, जिसमें बीमांकिक लाभ और हानियाँ, परिसंपत्ति उच्चतम सीमा का प्रभाव, शुद्ध परिभाषित लाभ दायित्व पर शुद्ध ब्याज में शामिल राशि को छोड़कर और योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल (शुद्ध परिभाषित लाभ दायित्व पर शुद्ध ब्याज में शामिल राशि को छोड़कर) शामिल है, बैलेंस शीट में तुरंत उस अवधि में जिस अवधि में होते हैं ओसीआई के माध्यम से प्रतिधारित अर्जन में संगत डेबिट या क्रेडिट के साथ अभिज्ञात किए जाते हैं. पुनर्मूल्यांकन को बाद की अवधि में लाभ या हानि के लिए पुन: वर्गीकृत नहीं किया जाता है.

अन्य कर्मचारी लाभ - अर्जित अवकाश नकदीकरण लाभ और हानि खाते के विवरण में खर्च के रूप में अभिज्ञात किए जाते हैं जब वे उपार्जित होते हैं. कंपनी बैलेंस शीट की तिथि को किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के साथ, प्रक्षेपित युनिट क्रेडिट विधि का उपयोग करके दायित्व निर्धारित करती है.

१.१५. आय कर

चालू आयकर

चालू आयकर का रिपोर्टिंग तिथि पर प्रभावी कर दरों और कर कानूनों का उपयोग करके कराधान प्राधिकरणों को

भुगतान की जाने वाली अपेक्षित राशि पर मूल्यांकन किया जाता है.

लाभ और हानि के विवरण के बाहर अभिज्ञात मदों से संबंधित चालू आयकर लाभ और हानि (या तो अन्य व्यापक आय या इक्विटी में) के बाहर अभिज्ञात किया जाता है. चालू कर मदों को या तो ओसीआई या सीधे इक्विटी में अंतर्निहित लेनदेन के सहसंबंध में अभिज्ञात किया जाता है.

कंपनी चालू कर परिसंपत्तियों और चालू कर दायित्वों का समायोजन करती है जहाँ इसके पास अभिज्ञात राशियों का प्रतितुलन करने का कानूनी रूप से प्रवर्तनीय अधिकार होता है और जहाँ यह या तो निवल आधार पर परिनिर्धारण करना, या एक साथ परिसंपत्तियों को प्राप्त करना और दायित्व का परिनिर्धारण करना चाहती है.

आस्थगित कर

परिसंपत्तियों और दायित्वों के कर आधार और रिपोर्टिंग तिथि पर वित्तीय रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए उनकी ले जाई जाने वाली राशि के बीच अस्थायी अंतर पर दायित्व विधि का उपयोग करके आस्थगित का प्रावधान किया जाता है.

उस सीमा तक आस्थगित कर परिसंपत्तियों को अभिज्ञात किया जाता है जिस सीमा तक यह संभव होता है कि कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके विरूद्ध कटौती योग्य अस्थायी अंतरों और अप्रयुक्त कर क्रेडिट और अप्रयुक्त कर हानियों का अग्रनयन उपयोग किया जा सकता है.

आस्थगित कर परिसंपत्तियों की ले जाई जाने वाली राशि की प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर समीक्षा की जाती है और उस सीमा तक कम कर दी जाती है कि अब यह संभव न हो कि पूर्णत: या अंशत: आस्थगित कर परिसंपत्ति का उपयोग करने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा.

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और दायित्वों का समायोजन किया जाता है जब वे एक ही कराधान प्राधिकरण द्वारा लगाए गए आयकरों से संबंधित होते हैं और प्रासंगिक इकाई निवल आधार पर अपनी चालू कर परिसंपत्तियों और दायित्वों का परिनिर्धारण करना चाहती है.

लाभ और हानि के विवरण के बाहर अभिज्ञात मदों से संबंधित आस्थगित कर लाभ और हानि के विवरण के बाहर अभिज्ञात किए जाते हैं. इस तरह की आस्थगित कर मदें या तो अन्य व्यापक आय में या सीधे इक्विटी में अंतर्निहित लेनदेन के सहसंबंध में अभिज्ञात की जाती हैं.

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और दायित्वों का उन वर्षों में कर योग्य आय पर लागू होने की उम्मीद वाले विधिवत रूप से प्रस्तावित अधिनियमित कर दरों का उपयोग करके मूल्यांकन किया जाता है, जिसमें अस्थायी अंतर प्राप्त या परिनिर्धारित होने की अपेक्षा की जाती है.

१.१६. पट्टे

इस बात का निर्धारण कि क्या कोई व्यवस्था पट्टा है (या में शामिल है), पट्टे की शुरुआत में व्यवस्था के सारतत्व पर आधारित होता है. व्यवस्था पट्टा होता है, या में पट्टा शामिल होता है, यदि व्यवस्था की पूर्ति एक विशिष्ट परिसंपत्ति या परिसंपत्तियों के उपयोग पर निर्भर होती है और व्यवस्था परिसंपत्ति या परिसंपत्तियों का उपयोग करने का

अधिकार सूचित करती है, भले ही वह अधिकार व्यवस्था में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट न हो.

जहाँ कंपनी पट्टेदार है

पट्टा व्यवस्था जिसमें परिसंपत्ति के स्वामित्व के लिए आकस्मिक जोखिम और पुरस्कार मूल रूप से पट्टादाता में निहित होते हैं, उन्हें प्रचालन पट्टे के रूप में अभिज्ञात किया जाता है. प्रचालन पट्टा भुगतान पट्टे की अवधि के दौरान सीधी रेखा विधि पर लाभ और हानि के विवरण में खर्च के रूप में अभिज्ञात किए जाते हैं, जब तक कि कोई और व्यवस्थित आधार न हो जो पट्टे के समय पैटर्न का अधिक प्रतिनिधि हो.

दी गई पट्टा जमाएँ एक वित्तीय परिसंपत्ति हैं और उनका परिशोधित लागत पर मूल्यांकन किया जाता है. जमा के वर्तमान मूल्य और नाममात्र मूल्य के बीच का अंतर को पूर्वदत्त किराया माना जाता है और पट्टे की अवधि के दौरान अभिज्ञात किया जाता है. छूट का खोलना वित्त आय माना जाता है और लाभ और हानि के विवरण में अभिज्ञात किया जाता है.

जहाँ कंपनी पट्टादाता है

प्रचालन पट्टे के अंतर्गत दी गई परिसंपत्तियों को निवेश परिसंपत्तियों में शामिल किया जाता है. पट्टा आय को पट्टे की अवधि के दौरान सीधी रेखा विधि के आधार पर लाभ और हानि के विवरण में अभिज्ञात किया जाता है, जब तक कि कोई और व्यवस्थित आधार न हो जो पट्टे के समय पैटर्न का अधिक प्रतिनिधि हो.

प्रचालन पट्टे का परक्रामण और व्यवस्था करने में उठाई गई प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत को पट्टे पर दी गई परिसंपत्ति की ले जाई जाने वाली राशि में जोड़ दिया जाता है और किराया आय की भांति आधार पर पट्टा अवधि के दौरान अभिज्ञात किया जाता है.

प्राप्त पट्टा जमाएँ वित्तीय विपत्र (वित्तीय दायित्व) होती हैं और प्रारंभिक अभिज्ञान पर उचित मूल्य पर मूल्यांकन किया जाना चाहिए. जमाओं के उचित मूल्य और नाममात्र मूल्य के बीच अंतर को अग्रिम में किराया माना जाता है और सीधी रेखा विधि के आधार पर पट्टा अवधि के दौरान अभिज्ञात किया जाता है. छूट का खोलना प्राप्त जमाओं के लिए ब्याज खर्च (वित्त लागत) माना जाता है और प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) विधि के अनुसार उपार्जित होता है.

१.१७ अर्जन प्रति शेयर (ईपीएस)

प्रति शेयर मूल मूल की गणना वर्ष के लिए निवल लाभ/(हानि) को विभाजित करके की जाती है जो वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या द्वारा इक्विटी शेयरधारकों (अधिमानी लाभांश और आरोप्य करों का कटौती करने के बाद) के लिए आरोप्य होता है.

प्रति शेयर मन्दित अर्जन की गणना करने के उद्देश्य से, इक्विटी शेयरधारकों के लिए आरोप्य वर्ष के लिए निवल लाभ/(हानि) और वर्ष के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या को सभी मन्दित संभावित इक्विटी शेयरों के प्रभाव के लिए समायोजित किया जाता है.

१.१८. रोकड़ और रोकड़ समतुल्य

बैलेंस शीट में रोकड़ और रोकड़ समतुल्य में बैंकस्थ और हस्तस्थ नकदी, माँग जमा और अल्पकालिक जमाएँ शामिल हैं, जो मूल्य में परिवर्तन के महत्वहीन जोखिम के अधीन हैं.

इंड एएस ७ में किए गए संशोधन इकाइयों से वित्त पोषण गतिविधियों से उत्पन्न होने वाले दायित्वों में परिवर्तन का प्रकटीकरण प्रदान करने की माँग करते हैं, जिसमें रोकड़ प्रवाह और गैर-रोकड़ परिवर्तनों (जैसे कि विदेशी मुद्रा लाभ या हानि) से उत्पन्न होने वाले दोनों परिवर्तन शामिल हैं. कंपनी ने रोकड़ प्रवाह विवरण में वर्तमान और तुलनात्मक अवधि दोनों के लिए जानकारी प्रदान की है.

१.१९. प्रावधान, आकस्मिक दायित्व और आकस्मिक परिसंपत्तियाँ

प्रावधान को अभिज्ञात किया जाता है जब :

- पिछली घटाना के परिणामस्वरूप कंपनी का वर्तमान दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) होता है;
- यह संभव है कि आर्थिक लाभों को समाविष्टि करने वाले संसाधनों का बहिर्वाह दायित्व का परिनिर्धारण करने के लिए आवश्यक होगा; तथा
- दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है.
- यदि धन के समय मूल्य का प्रभाव सामग्री है, तो चालू कर पूर्व दर का उपयोग करके प्रावधानों को छूट दी जाती है जो, उपयुक्त होने पर, दायित्व के लिए विशिष्ट जोखिम दर्शाता है. जब छूट देने का उपयोग किया जाता है, तो समय बीतने के कारण प्रावधान में वृद्धि को वित्त लागत के रूप में अभिज्ञात किया जाता है.

संदिग्ध ऋणों/अग्रिमों के लिए प्रावधान किए जाते हैं जब उसकी देयता की अवधि से निरपेक्ष प्राप्ति की अनिश्चितता होती है और अप्राप्यता स्थापित हो जाने पर अपलिखित कर दिया जाता है.

आकस्मिक दायित्व के लिए प्रकटीकरण किया जाता है जब ऐसा संभावित दायित्व या वर्तमान दायित्व होता है, जो संसाधनों के बहिर्वाह की माँग, लेकिन संभवत: नहीं भी, कर सकता है. ऐसी चरम स्थितियों में भी आकस्मिक दायित्व उत्पन्न होता है जिसमें ऐसा संभावित दायित्व होता है जिसे अभिज्ञात नहीं किया जा सकता है क्योंकि उसका विश्वसनीय रूप से मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है.

जहां ऐसा संभावित दायित्व या वर्तमान दायित्व है कि संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना दूर है, कोई प्रावधान या प्रकटीकरण नहीं किया जाता है.

प्रबंधन/स्वतंत्र विशेषज्ञों के निर्णय के आधार पर आकस्मिक दायित्वों का प्रकटीकरण किया जाता है. आकस्मिक परिसंपत्तियों को अभिज्ञात नहीं किया जाता है लेकिन वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण किया जाता है.

प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर प्रावधानों और आकस्मिक दायित्वों की समीक्षा की जाती है और वर्तमान अनुमान/निर्णय को दर्शाने के लिए समायोजित किया जाता है.

१.२०. सहायता अनुदान

परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए पूँजीगत व्यय के प्रति सरकार प्राधिकरणों से मिले अनुदान को प्रारंभ में आस्थगित आय के रूप में दिखाया जाता है. बाद में इन्हें प्रासंगिक परिसंपत्तियों के जीवन के दौरान उन परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास के अनुपात में प्रति वर्ष आय के रूप में अभिज्ञात किया जाता है.

जहां कंपनी को सरकारी प्राधिकरणों से गैर-मौद्रिक अनुदान प्राप्त होता है, परिसंपत्ति और अनुदान को उचित मूल्यों पर सकल अभिलेखित किया जाता है और अपेक्षित उपयोगी जीवन और अंतर्निहित परिसंपत्ति के लाभ के उपभोग के पैटर्न पर आय विवरण में विमोचित किया जाता है.

सरकारी प्राधिकरणों से प्राप्त बाजार ब्याज दर से नीचे ब्याज मुक्त ऋण (उप-ऋण) को सरकारी अनुदान माना जाता है जिसका प्रचलित बाजार ब्याज दरों के आधार पर ऋण की प्राप्तियों और उचित मूल्य के बीच अंतर के रूप में मूल्यांकन किया जाता है.

१.२१. वित्तीय विपत्र

वित्तीय विपत्र ऐसा कोई भी अनुबंध है जो एक इकाई की वित्तीय परिसंपत्ति और किसी अन्य इकाई के वित्तीय दायित्व या इक्विटी विपत्र को जन्म देता है.

प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) वह दर है जो वित्तीय परिसंपत्तियों या दायित्व की शुद्ध ले जाई जाने वाली राशि में वित्तीय विपत्रों के अपेक्षित जीवन या कम अवधि, जहाँ उपयुक्त हो, के दौरान भावी रोकड़ प्राप्तियों या भुगतान में सटीक रूप से छूट देती है.

१.२२. वित्तीय परिसंपत्तियां

प्रारंभिक मूल्यांकन

वित्तीय परिसंपत्तियों को अभिज्ञात किया जाता है जब कंपनी विपत्र के संविदात्मक प्रावधानों के लिए एक पक्ष बन जाती है. वित्तीय परिसंपत्तियों का शुरू में उचित मूल्य पर मूल्यांकन किया जाता है. लेनदेन की लागतें जो वित्तीय परिसंपत्तियों (लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों के अलावा) के सीधे अधिग्रहण या निर्गमन के लिए आरोप्य हैं, को उचित मूल्य में जोड़ा या कटौती की जाती है जिसका वित्तीय परिसंपत्ति के प्रारंभिक अभिज्ञान पर मूल्यांकन किया गया होता है.

वित्तीय परिसंपत्ति से रोकड़ प्रवाह के संविदात्मक अधिकार समाप्त होने पर या वित्तीय संपत्ति और सभी महत्वपूर्ण जोखिम और पुरस्कार स्थानांतरित होने पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ अनभिज्ञात कर दी जाती हैं. वित्तीय दायित्व को अनभिज्ञात किया जाता जाता है जब वह बुझ, डिस्चार्ज, रद्द या समाप्त हो जाता है.

पश्चादगामी मूल्यांकन

वित्तीय परिसंपत्तियों का बाद में - परिशोधन लागत - लाभ और हानि) के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल -

अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीओसीआई) पर वर्गीकरण और मूल्यांकन किया जाता है.

(i) प्रारंभिक मूल्यांकन के बाद परिशोधन लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ, ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों का बाद में प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) विधि का उपयोग करके परिशोधन लागत पर मूल्यांकन किया जाता है. ईआईआर परिशोधन लाभ और हानि के विवरण में अन्य आय में शामिल किया जाता है. क्षति से उत्पन्न होने वाली हानियों को लाभ और हानि के विवरण में अभिज्ञात किया जाता है.

(ii) अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीओसीआई) पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ उचित मूल्य संचलन अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में अभिज्ञात किया जाता है. ऋण विपत्र के अनभिज्ञान पर, ओसीआई में पहले अभिज्ञात संचयी लाभ या हानि इक्विटी से लाभ और हानि के विवरण में पुन: वर्गीकृत की जाती है.

(iii) लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ कोई भी वित्तीय परिसंपत्ति, जो परिशोधन लागत पर या एफवीटीओसीआई के रूप में वर्गीकरण के मानदंडों को पूरा नहीं करती है, को एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है. लाभ और हानि के विवरण में लाभ या हानि को अभिज्ञात किया जाता है.

अनभिज्ञान वित्तीय परिसंपत्तियों को अनभिज्ञात किया जाता है जब वित्तीय परिसंपत्ति से रोकड़ प्रवाह का संविदात्मक अधिकार समाप्त हो जाता है या यह वित्तीय परिसंपत्ति हस्तांतरित करता है और हस्तांतरण अनभिज्ञान के लिए अर्हता प्राप्त करता है.

१.२३ वित्तीय दायित्व

सभी वित्तीय दायित्वों को प्रारंभ में उचित मूल्य और, ऋण और उधारी और देयों के मामले में, सीधे आरोप्य शुद्ध लेनदेन लागतों पर अभिज्ञात किया जाता है.

ऋण और उधारियाँ

प्रारंभिक अभिज्ञान के बाद, ब्याज-धारक ऋणों और उधारियों का बाद में ईआईआर विधि का उपयोग करके परिशोधन लागत पर मूल्यांकन किया जाता है. लाभ और हानियों को जब दायित्वों को अनभिज्ञात किया जाता है और साथ ही ईआईआर परिशोधन प्रक्रिया के माध्यम से लाभ या हानि में अभिज्ञात किया जाता है.

परिशोधन लागत की गणना अधिग्रहण और शुल्क या लागत पर किसी भी छूट या प्रीमियम को ध्यान में रखकर की जाती है जो ईआईआर का एक अभिन्न हिस्सा हैं. ईआईआर परिशोधन लाभ और हानि के विवरण में वित्त लागतों के रूप में शामिल किया जाता है.

पश्चादगामी मूल्यांकन

वित्तीय दायित्वों का वृहत रूप से प्रभावी ब्याज विधि का उपयोग करके परिशोधन लागत पर मूल्यांकन किया जाता है, सिवाय व्यापार करने के लिए धारित या एफवीटीपीएल पर नामित वित्तीय दायित्वों के, जिन्हें लाभ या हानि में अभिज्ञात लाभ या हानि के साथ उचित मूल्य पर ले जाया जाता है. सभी व्युत्पन्न वित्तीय वित्तिया का एफवीटीपीएल

पर लेखांकन किया जाता है.

अनभिज्ञान

दायित्वाधीन दायित्व डिस्चार्ज या रद्द या समाप्त हो जाने पर कंपनी की बैलेंस शीट से वित्तीय दायित्व को अनभिज्ञात कर दिया जाता है. जब किसी मौजूदा वित्तीय दायित्व को समान ऋणदाता से काफी भिन्न शर्तों पर किसी अन्य द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, या मौजूदा दायित्व की शर्तों को काफी हद तक संशोधित कर दिया जाता है, तो इस तरह के विनिमय या संशोधन को मूल दायित्व की अस्वीकृति और नए दायित्व का अभिज्ञान माना जाता है. संबंधित ले जाई जाने वाली राशि में अंतर लाभ और हानि के विवरण में अभिज्ञात किया जाता है.

वित्तीय विपत्रों का समायोजन

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय दायित्वों का समायोजन होता है और बैलेंस शीट में शुद्ध राशि की सूचना दी जाती है यदि अभिज्ञात राशियों का समायोजन करने के लिए वर्तमान में प्रवर्तनीय कानूनी अधिकार है और एक साथ शुद्ध आधार पर परिनिर्धारण, संपत्ति प्राप्त करने और दायित्वों का निपटान करने का इरादा है.

१.२४. उचित मूल्य मूल्यांकन

उचित मूल्य वह मूल्य है जिसे परिसंपत्ति बेचने के लिए प्राप्त किया जाएगा या जिसका मूल्यांकन की तिथि पर बाजार प्रतिभागियों के बीच व्यवस्थित लेनदेन में दायित्व हस्तांतरित करने के लिए भुगतान किया जाएगा. उचित मूल्य मूल्यांकन इस धारणा पर आधारित होता है कि संपत्ति बेचने या दायित्व हस्तांतरित करने के लिए लेनदेन होता है :

परिसंपत्ति या दायित्व के लिए प्रमुख बाजार में, या

प्रमुख बाजार की अनुपस्थिति में, संपत्ति या दायित्व के लिए सबसे फायदेमंद बाजार में.

परिसंपत्ति या दायित्व के उचित मूल्य का इस धारणा का उपयोग करके मूल्यांकन किया जाता है कि बाजार प्रतिभागी अपने आर्थिक सर्वोत्तम हित में कार्य करते हैं.

गैर-वित्तीय परिसंपत्ति का उचित मूल्य मूल्यांकन अपने उच्चतम और सर्वोत्तम उपयोग में संपत्ति का उपयोग करके या किसी अन्य बाजार प्रतिभागी को बेचकर, जो अपने उच्चतम और सर्वोत्तम उपयोग में संपत्ति का उपयोग करेगा, आर्थिक लाभ उत्पन्न करने की बाजार प्रतिभागी की क्षमता ध्यान में रखता है.

कंपनी मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करती है जो परिस्थितियों में उपयुक्त होती हैं और जिसके लिए प्रासंगिक प्रेक्षणीय आदान का उपयोग अधिकतम करते हुए उचित मूल्य का मूल्यांकन करने के लिए पर्याप्त डेटा उपलब्ध होता है :

- स्तर १ - एकसमान परिसंपत्तियों या दायित्वों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत (असमायोजित) बाजार कीमतें.

- स्तर २ - मूल्यांकन तकनीकें जिसके लिए उचित मूल्य मूल्यांकन के लिए महत्वपूर्ण निम्नतम स्तर आदान प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रेक्षणीय है.

● स्तर ३ - मूल्यांकन तकनीकें जिसके लिए उचित मूल्य मूल्यांकन के लिए महत्वपूर्ण निम्नतम स्तर आदान प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अप्रेक्षणीय है.

आवर्ती आधार पर वित्तीय विवरणों में अभिज्ञात परिसंपत्तियों और दायित्वों के लिए, कंपनी निर्धारित करती है कि क्या प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वर्गीकरण (समग्र रूप से उचित मूल्य मूल्यांकन के लिए महत्वपूर्ण निम्नतम स्तर के आदान के आधार पर) का पुनर्मूल्यांकन करके पदानुक्रम में स्तरों के बीच स्थानान्तरण हुआ है.

उचित मूल्य प्रकटीकरण के प्रयोजन के लिए, कंपनी ने परिसंपत्ति या दायित्व की प्रकृति, विशेषताओं और जोखिमों और जैसा कि उपरोक्त समझाया गया है उचित मूल्य पदानुक्रम के स्तर के आधार पर परिसंपत्तियों और दायित्वों की श्रेणियाँ निर्धारित की हैं.

प्रपत्र सं. एमजीटी-11

परोक्षी फॉर्म

[कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 105 (6) एवं कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 19(3) के अनुरूप]

CIN: 60100MH2008SGC181770

कंपनी का नाम : मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : एमएमआरडीए भवन, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लैक्स, बांद्रा पूर्व, मुंबई - 400051.

सदस्य(यों) का नाम :	
पंजीकृत कार्यालय :	
ई-मेल पता :	
फोलियो नं./ग्राहक आईडी :	

मैं/हम, उपरोक्त नाम की कंपनी का/के सदस्य होते हुए, एतद् द्वारा :

1 नाम : _____
पता : _____
ई-मेल आईडी : _____
हस्ताक्षर :
(या इनके न होने पर) _____

2 नाम : _____
पता : _____
ई-मेल आईडी : _____
हस्ताक्षर :
(या इनके न होने पर) _____

3 नाम : _____
पता : _____
ई-मेल आईडी : _____
हस्ताक्षर :
(या इनके न होने पर) _____

को कंपनी की वार्षिक साधारण सभा, जो शनिवार, 23 सितंबर, 2017 को सुबह 11.45 बजे कमिटी रूम, नौवाँ तल, नया एमएमआरडीए भवन, बीकेसी, बांद्रा पूर्व, मुंबई-400051 को आयोजित होने वाली है, या इसकी किसी अन्य स्थगन बैठक में मेरे/हमारे लिए और मेरी/हमारी ओर से शामिल होने और मत देने (एक पोल पर) के अपने अपने परोक्षी के रूप में नियुक्त करता/करती हूँ/करते हैं.

हस्ताक्षर दिनांक ..... को

सदस्य के हस्ताक्षर

Affix revenue stamp

परोक्षी धारक(कों) के हस्ताक्षर

टिप्पणी : प्रभावी होने हेतु यह परोक्षी प्रपत्र उपयुक्त रूप से पूर्ण किया गया और कंपनी के पंजीकृत कार्यालय पर बैठक प्रारंभ होने के कम से कम 48 घंटे पहले जमा किया जाना चाहिए.

MUMBAI METRO RAIL CORPORATION LIMITED

(JV of Govt.of India and Govt.of Maharashtra)

MMRDA Building, Plot No.14-15, BKC, Bandra (E),

Mumbai – 400 051.

Print Add: COPYTRONICS

C3, BALARAMA, OPP. MMRDA, BANDRA KURLA COMPLEX, BANDRA (E), MUMBAI-51 M +91 9819913191 T +91 22 26591907